संपूर्ण भारत के लिए एक प्रकाशन

RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050
Postal Reg.No.-13/Surguja DN/2023-2025

दैनिक घटती घटना

Www.ghatatighatana.com

Ghatatighatana11@gmail.com

अम्बिकापुर,वर्ष 20,अंक -96 मंगलवार , 06 फरवरी 2024 , पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये

परिवारवाद-भ्रष्टाचार पर मोदी का हमला

जिसने लूटा,उसको लौटाना होगा

नई दिल्ली,05 फरवरी 2024(ए)। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पिछले 10 सालों का लेखा-जोखा देश के सामने रखा। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए कितनी सीटें जीतेगी, उसका भी सदन से एलान किया और तीसरे कार्यकाल में किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, उसकी रूपरेखा भी बताई। पीएम मोदी ने विपक्ष को परिवारवाद, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर खरी-खोटी सुनाई। गांधी परिवार का नाम लिए बिना ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी हमला बोला।

विपक्ष दर्शक दीर्घा में जरूर बैठेगा

पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो संकल्प लिया है, उसकी सराहना करता हूं, उनके भाषण की एक-एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां (विपक्ष में) रहने का संकल्प ले लिया है।
पीएम मोदी ने कहा कि जनता-जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है और आप लोग (विपक्ष) जिस तरह से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता-जनार्दन आपको पक्का आशीर्वाद देगी और आप अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में जरूर दिखेंगे।

परिवारवाद पर पीएम मोदी का जवाब

प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बोलते हुए कांग्रेस को परिवारवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विश्वास हमेशा एक परिवार पर रहा है। एक परिवार के आगे न कुछ सोच सकते हैं और न ही कुछ देख सकते हैं। इस दौरान कुछ कांग्रेसी नेताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए परिवारवाद का जिक्र किया।
इस पर पीएम ने कहा कि अगर एक ही परिवार के 10 लोग अपनी काबिलियत से राजनीति में हैं तो वह परिवारवाद नहीं है। जब एक ही परिवार की अपनी पार्टी हो और उसका अपना ही कुनबा पार्टी पर राज करे वो परिवारवाद है। न राजनाथ सिंह की और न अमित शाह की, इनमें से किसी की अपनी पार्टी नहीं है।

कांग्रेस मतलब कैंसिल...

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर देश की उपलब्धियों और विकास नीति को नकारने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस कैंसिल कल्चर पर चल रही है। हम मेड इन इंडिया लाते हैं, हम उज्ज्वला योजना लाते हैं, पीएम किसान निधि लाते हैं... और कांग्रेस कहती हैं- कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। हम जो भी कहते हैं, उस पर कांग्रेस कहती है कैंसिल।

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी

पीएम ने कहा कि हमने अपने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे, उस गड्ढे को भरने काफी समय और शक्ति लगाई। हमने अपने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत के निर्माण को नई गति देंगे।
पीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों का अनुभव, आज की मजबूत अर्थव्यवस्था और आज भारत जिस तीव्र गति से प्रगति कर रहा है, उसे देखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। ये मोदी की गारंटी है।

राहुल को बताया प्रोडक्ट

पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही प्रोडक्ट बताया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे एक सदन से दूसरे सदन में शिफ्ट हो गए। गुलाम नबी आजाद तो पार्टी ही शिफ्ट कर गए। एक ही प्रोडक्ट को बार-बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगाने की नौबत आ गई है। धुरंधरों की हालत ये हो गई है कि अब राज्यसभा से सदन में आने की नौबत आ गई है।

नेहरू जी ने कहा था-भारतीय आलसी हैं...

पीएम ने कहा,नेहरू जी ने लाल किले से कहा था- हिंदुस्तान के लोगों को आमतौर पर बहुत मेहनत करने की आदत नहीं है। हम इतना काम नहीं करते हैं, जितना यूरोप, जापान, चीन, रूस और अमेरिका वाले करते हैं। नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी हैं।

इंदिरा भी नेहरू से अलग नहीं थीं

इंदिरा गांधी ने लाल किले से कहा था- दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मसंतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं।

पीएम बोले-तीसरा कार्यकाल दूर नहीं

मोदी ने कहा कि अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी हैं और पूरा देश कह रहा है- अबकी बार 400 पार। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में को तो 400 पार सीटें मिलेंगी ही, लेकिन देश, भाजपा को 370 सीटें अवश्य देगा।

कर्पूरी ठाकुर का कांग्रेस ने किया अपमान

पीएम मोदी ने संसद में बोलते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। हमारी सरकार ने उन्हें सम्मान दिया।

आईएनडीआईए पर पीएम मोदी का तंज

पीएम मोदी ने आईएनडीआईए पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी सरकार के खिलाफ सब एकजुट हुए। सबने मिलकर भानुमति का कुनबा जोड़ा, फिर बिगड़ गया।पीएम मोदी ने संसद में कहा कि पहले सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा में जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा में जाता था। लगातार एक्शन की मांग होती थी, चारों तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार की ही खबरें नजर आती थीं। आज जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती है, तो ये लोग उनके समर्थन में हंगामा करते हैं। पहले एजेंसियों को काम करने नहीं दिया जाता था। कांग्रेस के समय ईडी ने 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। हमारे कार्यकाल में ईडी ने एक लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। जिसने देश को लूटा है उसे लूटा हुआ माल लौटाना ही होता है।

चंपई सरकार ने बहुमत साबित किया

हेमंत सोरेन ने ईडी और राज्यपाल पर निशाना साधा

पक्ष में पड़े 47 वोट, विपक्ष के 29 वोट

रांची,05 फरवरी 2024(ए)। झारखंड की चंपई सोरेन की नई सरकार ने अपनी परीक्षा पास कर ली है। सोमवार को चंपई सरकार झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने में सफल साबित हुई।बहुमत परीक्षण के दौरान चंपई सरकार के समर्थन में 47 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 29 वोट पड़े।विश्वास प्रस्ताव पर मतदान में कुल 81 विधायकों में से 79 विधायकों ने हिस्सा लिया। सत्तारूढ़ गठबंधन के एक विधायक और विपक्ष के एक विधायक सदन में अनुपस्थित रहे।बहुमत का आंकड़ा 40 था।
प्रर्वतन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विधानसभा में हुए बहुमत परीक्षण में मतदान किया। उन्हें कोर्ट की ओर से इसकी अनुमति दी गई थी।नई सरकार गठन के बाद पहली बार बुलाए गए विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण से हुई।सरकार के बहुमत साबित करने के बाद विधानसभा की कार्यवाही 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई।
झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत पर झूठे आरोप लगाए गए।उन्होंने कहा, हेमंत ने राज्य को कुशल नेतृत्व दिया है। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से हेमंत के साथ अन्याय हो रहा है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हेमंत का पार्ट-2 हूं।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत ने भी कहा, 31 जनवरी की काली रात को एक काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री की आधी रात को गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं हुआ।उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये पहली घटना है। इसे अंजाम तक पहुंचाने में कहीं न कहीं राजभवन भी शामिल है। मुझे अपनी गिरफ्तारी के षडयंत्र का पहले से ही आभास हो गया था।हेमंत ने कहा, हमने अभी तक हार नहीं मानी। अगर उन्हें (केंद्र सरकार) लगता है कि मुझे सलाखों के पीछे डालकर उनके मंसूबे पूरे हो सकते हैं तो वह बड़ी गलतफहमी में हैं।उन्होंने कहा, आज मुझे 8.5 एकड़ जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे नाम पर दर्ज जमीन के एक भी दस्तावेज दिखाएं। अगर आरोप साबित हो गए तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा।ईडी झारखंड में सेना की जमीन बिक्री समेत कई अन्य मामलों की जांच कर रही है। इसमें सोरेन भी आरोपी हैं।सोरेन को 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। वह 7 फरवरी तक ईडी की रिमांड में हैं।उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले में कोर्ट ने ईडी से 9 जनवरी तक जवाब मांगा है।याचिका पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।

आरक्षण की मांग कर रहे जाट समदुाय की धमकी

जयपुर,05 फरवरी 2024 (ए)। आरक्षण की मांग कर रहे जाट समुदाय ने धमकी दी है कि अगर केंद्र सरकार की ओर से उन्हें 7 फरवरी को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, तो वो राजस्थान के भरतपुर जिले के मुंबई-दिल्ली रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर देंगे। नेम सिंह फौजदार ने कहा, यह जाट समुदाय के महापड़ाव का 20 वां दिन है। अब हमने आगामी 7 फरवरी को दोपहर 12 बजे दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम करने का फैसला किया है। अभी तक हमें केंद्र की ओर से बातचीत के लिए किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं मिला है। लिहाजा, अब जाट समुदाय ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करने का फैसला किया है।

आतंकी संगठन सिमी पर कार्यवाही कर सकेंगी राज्य सरकारें:गृह मंत्रालय

» गृह मंत्रालय ने अधिकार दिया

» 7 दिन पहले ही 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाया

नई दिल्ली,05 फरवरी 2024 (ए)। अब देश के सभी राज्य आतंकी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को अपने क्षेत्र में बैन कर सकते हैं। साथ ही उस पर यूएपीए एक्ट के तहत एक्शन भी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने सोमवार (5 फरवरी) को अधिसूचना जारी करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये अधिकार दिया है।
इससे पहले 29 जनवरी 2024 को केंद्र ने सिमी पर लगाए गए बैन को पांच साल के लिए बढ़ाया है। सरकार ने कहा था कि सिमी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रहा है। देश में कुल 44 संगठनों को यूएपीए 1967 की धारा 35 के तहत बैन किया गया। इनमें शामिल सिमी को पहली बार 27 सितंबर 2001 में गैरकानूनी घोषित किया गया था। उस वक्त अटल बिहार वाजपेयी सरकार थी। तब से इस पर लगा बैन बढ़ाता रहा है।

इन राज्यों ने अपने क्षेत्र में बैन लगाने की मांग की थी

10 राज्य सरकारों ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत सिमी को एक गैरकानूनी संघ घोषित करने की सिफारिश की थी। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश शामिल थे। गृह मंत्रालय ने कहा कि सिमी अपनी आतंकी घटनाओं में एक्टिव है। वह अपने फरार सदस्यों को दोबारा संगठित कर रहा है।गौरतलब है कि 2024 के पहले 2015 में मोदी सरकार ने सिमी पर अनिश्चितकालीन समय के लिए बैन लगा दिया था। कहा जाता है कि सिमी ने अपने मूवमेंट को चलाने के लिए एक नए संगठन का नकाब पहना। इस संगठन का नाम है इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन के सभी संगठन स्लीपिंग मॉड्यूल की तरह काम करते हैं।

आप नेता संजय सिंह को झटका

राज्यसभा सदस्य के तौर पर आज नहीं ले पाए शपथ

नई दिल्ली,05 फरवरी 2024 (ए)।दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। आप नेता आज सोमवार को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ नहीं ले सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उन्हें इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके चलते वह आज राज्यसभा सदस्य की शपथ नहीं ले सकेंगे। इस संबंध में सभापति ने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। मालूम हो कि 3 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को पांच फरवरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की इजाजत दी थी। इस संबंध में कोर्ट ने जेल अधिकारियों से आप नेता को सुबह 10 बजे तक संसद ले जाने का आदेश दिया था।बता दें कि संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए चार से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी। आप नेता की याचिका पर विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर तीन फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। ईडी का आरोप है कि आप नेता की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका थी।

53 साल बाद आया फैसला

हिंदुओं को मिला लाक्षागृह पर अधिकार

नई दिल्ली,05 फरवरी 2024 (ए)। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बागपत के लाक्षागृह केस में कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है। इस मामले में 53 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए लाक्षागृह की 100 बीघा जमीन पर हिंदू पक्ष के अधिकार की बात कही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागवत जिले के बरनावा में लाक्षागृह की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मामला अदालत में चल रहा था। मुस्लिम पक्ष इस जमीन को सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार बता रहे थे। जबकि, हिंदू पक्ष का दावा था कि यह महाभारत कालीन लाक्षागृह है। जहां पांडवों को कौरवों द्वारा जलाकर मारने की कोशिश की गई थी।
इस पूरे मामले में 53 साल बाद बागपत कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दे दिया है। 1970 से इस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी।
पिछले साल इस मामले की सुनवाई में तेजी आई थी। अदालत के फैसले पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की नजर टिकी हुई थी। 1970 में इस मामले को लेकर बरनावा निवासी मुकीम खान ने वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी की हैसियत से मेरठ के सरधना की कोर्ट में एक केस दायर कराया था। जिसमें जानकारी दी थी कि इस लाक्षागृह टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार और एक बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है। जिस पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव मर्डर आफ डेमोक्रेसी जैसा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,05 फरवरी 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को मेयर आफ डेमोक्रेसी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव सही तरीके से कराया जाना सबसे अहम है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह लोकतंत्र के साथ मजाक है। यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से मतपत्र, वीडियोग्राफी और अन्य सामग्री समेत चुनाव प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया। वहीं अगली सुनवाई तक चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को टालने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव में जीत हासिल की थी और सभी तीन पदों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। इस चुनाव को कांग्रेस-आप गठबंधन के लिए झटका तौर पर देखा गया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 सप्ताह की गर्भवती महिला के गर्भपात से किया इनकार

कहा-भ्रूणहत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती

नई दिल्ली,05 फरवरी 2024 (ए)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को 20 वर्षीय अविवाहित महिला की 28 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण के गर्भपात की अनुमति नहीं देगा।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद उस याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।न्यायाधीश ने कहा, मैं 28 सप्ताह के पूरी तरह से विकसित भ्रूण के गर्भपात की अनुमति नहीं देने जा रहा हूं। रिपोर्ट में मुझे भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं दिख रही है। भ्रूणहत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती।

महिला द्वारा अपनी गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति मांगने के बाद अदालत ने एक फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।डॉक्टरों ने गर्भपात करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह 24 सप्ताह की कानूनी रूप से स्वीकार्य सीमा से अधिक हो गया था।महिला ने अपनी याचिका में दावा किया कि सहमति से बनाए गए संबंध से उसे हाल ही में अपनी गर्भावस्था का पता चला।महिला के वकील अमित मिश्रा ने कहा कि उसे गर्भावस्था के बारे में 25 जनवरी को तब पता चला, जब वह पहले से ही 27 सप्ताह की गर्भवती थी।वकील ने कहा कि उसकी अविवाहित स्थिति और उसके परिवार के भीतर उसकी स्थिति की गोपनीयता पर विचार किया जाना चाहिए।मिश्रा ने अदालत से आग्रह किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को महिला की मानसिक और शारीरिक स्थिति के साथ-साथ भ्रूण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी चिकित्सकीय जांच करने का निर्देश दिया जाए।

पेपर लीक दोषियों पर चलेगा मोदी सरकार का चाबुक

10 साल की कैद और 1 करोड़ जुर्माने वाला बिल पेश

नई दिल्ली,05 फरवरी 2024 (ए)। पेपर लीक को धंधा बनाने वालों की अब खैर नहीं। मोदी सरकार ऐसा बिल लाई है जिसमें पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस सजा में 5 से 10 साल की कैद और करीब 1 करोड़ जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। द पब्लिक एक्सामिनेशन 2024 लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रमुख परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकना है। बिल में पेपर लीक के मामलों में कम से कम तीन साल से पांच साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक के मामले में अपराध साबित होने पर दोषी को 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट-मेडिकल एवं इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक पर चिंता जताई गई थी। पेपर लीक होने या नकल की वजह से लाखों परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर लगा बैन

नई दिल्ली,05 फरवरी 2024 (ए)। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अहम निर्देश जारी किया है। निर्देशों में चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल नहीं किया जाए। आयोग ने सख्य निर्देश जारी करते हुए कहा कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। आयोग ने दलों और उम्मीदवारों की ओर से किसी भी तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किए जाने के प्रति अपनी कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति से अवगत कराया।चुनाव आयोग ने कहा कि नेताओं और उम्मीदवारों को प्रचार गतिविधियों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए, चाहे वे बच्चे को गोद में उठा रहे हों या वाहन में या फिर रैलियों में बच्चे को ले जाना हो। इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'किसी भी तरीके से राजनीतिक प्रचार अभियान चलाने के लिए बच्चों के इस्तेमाल पर भी यह प्रतिबंध लागू है जिसमें कविता, गीत, बोले गए शब्द, राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रतीक चिह्न का प्रदर्शन शामिल है

संपादकीय

बेचैन ममता, निशाने पर कांग्रेस

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी जितना हमला भाजपा पर नहीं कर रही हैं उससे ज्यादा हमला कांग्रेस पर कर रही हैं। कांग्रेस नेता भी ममता को निशाना बना रहे हैं हालांकि राहुल गांधी ने सद्भाव दिखाया है लेकिन प्रदेश के नेताओं पर कोई रोक नहीं है। तभी ऐसा लग रहा है कि बंगाल में ममता का मुकाबला कांग्रेस के साथ है। उन्होंने पहले लेफ्ट मोर्चे को निशाना बनाया और कहा वह आतंकवादी पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस को आगाह किया कि वह लेफ्ट के साथ नहीं दिखे। ममता ने यहां तक कहा कि अगर लेफ्ट के नेता राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे तो तृणमूल कांग्रेस उससे अलग रहेगी। हालांकि लेफ्ट के नेता नहीं शामिल होते तब भी ममता को यात्रा से दूर ही रहना था। उन्होंने राहुल की यात्रा बंगाल में घुसने से पहले ही कह दिया था कि वे अकेले सभी सीटों पर लड़ेंगी। सवाल है कि जब उन्होंने अकेले सभी सीटों पर लड़ने का फैसला कर लिया है तो कांग्रेस की यात्रा में कौन शामिल होता है और कौन नहीं शामिल होता है इससे उनको क्या मतलब है। लेकिन उनको मतलब है क्योंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी नुकसान पहुंचा सकती है। उनकी ज्यादा चिंता इस बात की है कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट मिल कर लड़े तो मुस्लिम मतदाताओं में उसका बड़ा मैसेज होगा। इसका असर मुर्शिदाबाद और माल्दा में होगा, जहां कई सीटें तृणमूल कांग्रेस हार सकती है। अगर दोनों पार्टियों ने मुस्लिम वोट का थोड़ा सा भी बंटवारा करा दिया तो ममता की पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तभी वे बेचैन हैं। वे कांग्रेस को साथ लाना भी चाह रही हैं और दो से ज्यादा सीट भी देना नहीं चाह रहे हैं। सारी लड़ाई इसी बात की है कि कांग्रेस कम सीट लेकर गठबंधन में आ जाए और लेफ्ट को अकेले छोड़ दिया जाए।

पत्रकारिता का गिरता स्तर आने वाले समय के लिए चिंताजनक

» गजब की पत्रकारिता,कोई प्रशासनिक अधिकारी के शादी का कार्ड बांट रहा तो कोई नेता को लड्डू से तौल रहा है तो कोई विधायक का ड्राइवर बना... क्या यही है पत्रकारिता का स्तर ?

» जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों की जी हुज़ूरी करना ही बन चुकी पत्रकारिता ?

रवि सिंह
कटकोना, बैकुंठपुर कोरिया

पत्रकारिता का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है या गिर रहा है, इन दिनों व्यापारी पत्रकार जिन्हें मठाधीश भी कहा जाता है ऐसे पत्रकार अधिकारियों और नेताओं के कैसे करीबी दिख सकें इसकी इन दिनों होड़ मची हुई है। कोई लड्डूओं से तौल रहा है तो कोई अधिकारी की शादी का कार्ड बांट रहा है। सबसे मजे की बात ये है कि इन मठाधीशों ने पत्रकारों के हितों के लिए आज तक कुछ नही किया। पत्रकारिता का स्तर जिस तेजी से गिर रहा है उसे देखते हुए आने वाले समय में पत्रकारिता का क्या स्तर होगा यह एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाने वाला पत्रकारिता जगत अब जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों की जी हुज़ूरी तक ही व्यस्त है और सच प्रकाशित करने की अपनी जिम्मेदारी से वह पलायन करता जा रहा है। लगातार देखा जा रहा है की लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने सिपाहियों के स्वार्थ सिद्धी की वजह से अपनी छवि धूमिल महसूस कर रहा है और दागदार समझ पा रहा है। आज इस क्षेत्र में पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने की मंशा रखने वाले सबसे आगे अपना स्वार्थ रखते हैं जिससे इस क्षेत्र की गरिमा प्रभावित हो रही है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, ऐसा क्यों है इसके पीछे क्या कारण है यह भी

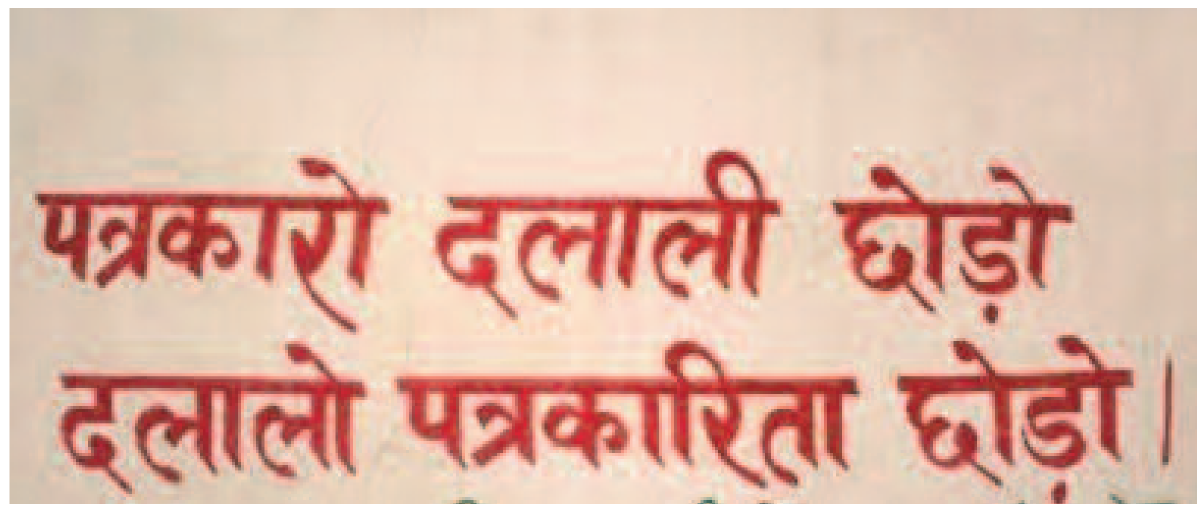

जानना जरूरी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब यह आवश्यक होता है की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार साथ ही सरकार सहित शासन के अंग नौकरशाह अपने पदीय दायित्व से विमुख होने लगें तब पत्रकारिता और इस क्षेत्र से जुड़े लोग उन्हे इसका एहसाह कराएं और उन्हे ऐसा करने से रोकने के लिए खबरों के माध्यम से सचेत करें। लेकिन देखने को इसके बिल्कुल विपरीत मिल रहा है, आज पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथा स्तंभ बनकर काम नहीं करना चाहते बल्कि वह राजनीतिक क्षेत्र सहित प्रशासनिक तंत्र के साथ मिलकर चलना चाहते हैं और उनके सही गलत सभी निर्णयों को मामलों को छिपाने और उन पर पर्दा डालकर अपना लाभ तय करना चाहते हैं।

आज पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े लोग अपने स्वार्थ सिद्धी में इस तरह मशगूल हैं की वह गलत को गलत लिखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि गलतियों में उनका हिस्सा बंधा हुआ है। निष्पक्षता भूल चुके हैं अधिकांश पत्रकार और उन्हे अब हर राजनीतिक साथ ही शासकीय मंच पर कुर्सियां चाहिए और अपना एक रुतबा चाहिए। राजनीतिक गतिविधियों सहित प्रशासनिक गतिविधियों में आज एक साथ कदम ताल करते नजर आने लगे हैं पत्रकार। कोई किसी नेता का ड्राइवर बनकर ही खुश हो रहा है अपना रुतबा ड्राइवर बनकर ही पा रहा है और कोई अधिकारियों के घर के आयोजनों के आमंत्रण बांटकर ही अपना महत्व समझ पा रहा है। अपनी लेखनी और अपनी निष्पक्षता के बलबूते कोई भी अब सम्मानित महसूस नहीं कर रहा है यह प्राय महसूस होने लगा है। नेताओं के कार्यक्रम में खबर के लिए पहुंचने पर भी आज पत्रकारों को मंच पर आसीन होना पसंद आ रहा है जबकि उन्हे अपने पेशे के अनुसार लोगों के बीच उपस्थित रहना चाहिए उनका मन भांपकर उसका प्रकाशन करना चाहिए। कुछ पत्रकार तो केवल मठाधीश बनकर पूरे इस जगत को ही मटियामेट करने में लगे हुए हैं। आज खबरों में वही खबर प्रकाशित हो रहे हैं जिनमें प्रशासन और राजनीतिक लोगों की सहमति है। जन्मदिवस,उत्सव कोई,उपलब्धि ही खबर बन चुकी है,कमियां,दोष और गलतियां इसलिए प्रकाशन योग्य नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर लाभ प्रभावित होना तय है व्यक्तिगत। कार्यालयों में भी पत्रकार अपनी धमक और अपने रुतबे को केवल एक ही मामले में इस्तेमाल कर रहे हैं और वह है केवल स्वार्थ सिद्धी। आने वाले समय में यदि ऐसा ही कायम रहा तो यह क्षेत्र पूरी तरह बिचौलिया क्षेत्र साबित हो जायेगा जिसका काम बिचौलिया बनकर केवल समझौते का रह जायेगा जिसमें अपना हिस्सा भी तय होगा। शोषण,अपराध, अनियमितताएं, दोष, सहित अवगुणों का प्रकाशन पत्रकारिता क्षेत्र का अपना कर्तव्य है, लेकिन आज देखा जा रहा है की इसपर पर्दा डालना ही जिम्मेदारी बन गई है।

समय रहते इस जगत पत्रकारिता जगत के लिए इसके भविष्य के लिए सोचना होगा तब जाकर स्वस्थ समाज स्वस्थ सरकार और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिकल्पना साकार होती रहेगी। इस जगत के मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए अब चिंतन जरूरी है। आज इस जगत का गिरता स्तर ही है की प्रतिदिन कई सोशल मिडिया पोस्ट नजर ऐसे आने लगे हैं जिनमे इस जगत का ही बहिष्कार किया जाने लगा है। आज लोग इस जगत को सम्मान की नजर से नहीं देख रहे हैं बल्कि इसे एक बिचौलिया मानकर तभी इस जगत से जुड़े लोगों से सम्पर्क करते हैं जब कोई बीच बचाव का रास्ता ले देकर जैसे शब्दों से जुड़ा उनके सामने आता है। अपनी लेखनी से कोई विषय हल कर पाने की क्षमता रखने वाला यह जगत अब निवेदन और चापलूसी के सहारे आगे बढ़ रहा है जिसे रोकना होगा। पत्रकार समाज में साथ ही व्यवस्था में एक आइने का काम करता है वह एक सचेतक की भूमिका में होता है एक निंदक भी होता है जो समय समय पर अपनी अलग अलग भूमिका में सामने आकर एक सुधारात्मक प्रयास अपनी लेखनी से करता है,उसकी लेखनी ही उसकी पहचान है जो उसे अन्य से अलग बनाती है लेकिन यदि पत्रकार लिखना ही छोड़ दे बिचौलिया बन जाए और अपने लिए ही केवल स्वार्थी होकर चलने लगे समाज और व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश ही समाप्त हो जायेगी। अपनी भूमिका का नियमानुसार पालन करते हुए ही निष्ठापूर्वक पालन करते हुए ही पत्रकारिता को उसकी असल पहचान पुनः दिलाई जा सकेगी।

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

बिहार में राजनीतिक नैतिकता गटर में

झारखंड में अगर संवैधानिक मर्यादा का मजाक बना तो उससे पहले बिहार में राजनीतिक नैतिकता का मजाक बना। सोचें, ये दोनों घटनाएं अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई हैं। भाजपा और हिंदुवादी संगठन महीनों से प्रचार कर रहे थे कि राम आएंगे। फिर राम आ गए। लेकिन क्या राम के साथ उनकी मर्यादा भी आई है? क्या यही राम की मर्यादा है कि फायदे के लिए जानी दुश्मन को भी गले लगा लो या फायदे के लिए संवैधानिक व राजनीतिक मर्यादा को ताक पर रख दो? क्या भगवान राम ने अयोध्या की गद्दी पर बैठने के लिए इस तरह के काम किए थे? कथित तौर पर राम को लाने वालों को क्या राम की मर्यादा, वीरता, साहस, विनम्रता, त्याग, उद्दात चरित्र का जरा सा भी पालन नहीं करना चाहिए?

भाजपा के नेता पानी पी-पीकर नीतीश को कोस रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार बिहार जाकर ऐलान किया था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के खिड़की दरवाजे सब बंद हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा अब किसी को कंधे पर नहीं बैठाएगी। भाजपा के प्रदेश के नेता रोज नीतीश को गालियां दे रहे थे और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे। लेकिन अचानक किसी फीडबैक से भाजपा को लगा कि बिना नीतीश के चुनाव लड़ने पर भाजपा को नुकसान हो सकता है। इसलिए सारी बातें भूल कर उनको फिर से गले लगा लिया गया। रातों रात नीतीश कुमार फिर सुशासन बाबू बन गए। प्रधानमंत्री उनको बधाई और शुभकामना देने लगे और राज्यपाल ने पलक झपकते उनकी सरकार बनवा दी। उनके सारे अवगुण धुल गए। उन्होंने विपक्ष को एकजुट किया था और 'इंडिया' के गठन की नींव रखी थी। उन्होंने केंद्र की सरकार से भाजपा को हराने का संकल्प किया था। नीतीश ने हिसाब बताया था कि 50 सीटें कम कर दी जाएं तो भाजपा का बहुमत कम हो जाएगा। वह 272 के जादुई आंकड़े से नीचे आ जाएगी। तभी भाजपा चिंता में थी और चिंता दूर करने का तरीका यह निकाला गया कि नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बना कर उनको अपने साथ मिला लिया गया।

सोचें, बिहार में नीतीश कुमार को भाजपा ने अपना जानी दुश्मन माना था। जब वे पहली बार भाजपा को छोड़ कर गए थे तब नरेंद्र मोदी ने उनके डीएनए में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। असल में मोदी का उनसे विवाद बरसों पुराना है, जब नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री थे और भाजपा जूनियर पार्टनर थी, तब सन 2010 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई थी और नीतीश कुमार ने भाजपा के सभी नेताओं को रात्रिभोज का न्योता दिया था। जिस दिन रात्रिभोज रखा गया था उसी दिन बिहार के अखबारों में गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विज्ञापन छप गया, जिसमें किसी चुनाव प्रचार के दौरान वे नीतीश कुमार का हाथ उठा कर खड़े हैं। इस विज्ञापन से नीतीश इतना भड़के कि उन्होंने रात्रिभोज रद्द कर दिया। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि अगर भाजपा मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाती है तो वे तालमेल खत्म कर लेंगे। उन्होंने 2013 में भाजपा की घोषणा के बाद तालमेल खत्म कर लिया। उसके बाद ही मोदी ने उनके डीएनए में गड़बड़ी का आरोप लगाया था।

इसके बाद चार साल तक दोनों पार्टियां अलग अलग रहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने नीतीश को हराया तो 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने लालू प्रसाद के साथ मिल कर मोदी को शिकस्त दी। लेकिन दो साल बाद 2017 में भाजपा अपने सारे अपमान भूल गई और नीतीश कुमार के साथ मिल कर बिहार में सरकार बना ली। 2015 के चुनाव की हार से भाजपा ने यह सबक लिया कि चाहे उसने नीतीश को कुछ भी कहा हो या नीतीश ने उसक साथ कुछ भी किया हो चुनाव नीतीश के बगैर नहीं लड़ना है। अभी तो लोकसभा चुनाव है, जिसमें नरेंद्र मोदी की सत्ता दांव पर लगी है। इसलिए भी कोई जोखिम लेने का सवाल नहीं था।

-हरिशंकर व्यास-

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

अंतरिम बजट में तो बहुत कुछ

पिछले कुछ वर्षों में प्रतिकूल स्थितियों, जिसमें रुस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-यूरोप में मंदी की आहट इत्यादि शामिल है–उस बीच इस उपलब्धि का श्रेय मोदी सरकार की जिन नीतियों को जाता है, उसमें 2017 से देश में लागू 'वस्तु एवं सेवा कर' (जीएसटी) प्रमुख उपक्रमों में से एक है। अपनी उत्पत्ति के समय जीएसटी पंजीकरण की संख्या 65 लाख थी, वह छह वर्ष में बढ़कर लगभग डेढ़ करोड़ हो गई है। एक फरवरी को मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत किया। चूंकि यह अंतरिम बजट था और इसे आम चुनाव से छह सप्ताह पहले संसद में लोकसभा के पटल पर रखा गया था, इसलिए राजनीतिक सूझबूझ रखने वालों को अपेक्षा थी कि यह पूर्ववर्ती सरकारों की भांति लोकलुभावन वादों से भरा होगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। वास्तव में, बजट केवल आर्थिकी के स्वास्थ्य को ही नहीं, साथ ही राष्ट्रीय अर्थ-नीति, लक्ष्य, दिशा और मानव-विकास को भी चरितार्थ करता है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट इसी दृष्टिकोण के अनुरूप था।

मई 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ भारतीय आर्थिकी को स्थायित्व देने हेतु दीर्घकालीन नीतियों को धरातल में क्रियान्वित कर रहे हैं। यही कारण है कि देश का जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) स्वतंत्रता से 67 वर्षों (1947-2014) में दो ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, वह बीते 10 वर्षों में दोगुना बढ़कर लगभग चार ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच चुका है। इसका परिणाम यह हुआ कि वित्तवर्ष 2014-15 में केंद्रीय बजट का आकार, जो 18 लाख करोड़ रुपये था, वह ढाई गुना बढ़कर वित्तवर्ष 2023-24 में बढ़कर 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो गया। यही नहीं, वित्तवर्ष 2013-14 में सकल प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, लगभग सात लाख करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र हुआ था, वह वित्तवर्ष 2023-24 में 10 जनवरी 2024 में (दिसंबर माह तक) 17 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। उल्लेखनीय बात यह है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के भीषणकाल (2020-21) में भारत का सकल प्रत्यक्ष कर राजस्व, वित्तवर्ष 2013-14 की तुलना में अधिक– अर्थात, 9.45 लाख करोड़ रुपये था।

पिछले कुछ वर्षों में प्रतिकूल स्थितियों, जिसमें रुस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-यूरोप में मंदी की आहट इत्यादि शामिल है–उस बीच इस उपलब्धि का श्रेय मोदी सरकार की जिन नीतियों को जाता है, उसमें 2017 से देश में लागू 'वस्तु एवं सेवा कर' (जीएसटी) प्रमुख उपक्रमों में से एक है। अपनी उत्पत्ति के समय जीएसटी पंजीकरण की संख्या 65 लाख थी, वह छह वर्ष में बढ़कर लगभग डेढ़ करोड़ हो गई है। बात यदि जीएसटी संग्रह की करें, तो यह प्रत्येक माह नए-नए उपलब्धि प्राप्त कर रहा है। वर्तमान वित्तवर्ष (जनवरी 2024 तक) में आठ बार प्रति माह 1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व, जीएसटी के रूप में प्राप्त हुआ है। वर्तमान वित्तवर्ष के दस माह में जीएसटी संग्रह 16.69 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो पिछले वित्तवर्ष 2022-23 की तुलना में 11.6 प्रतिशत अधिक है।

चूंकि सुदृढ़ वित्तीय योजनाओं, कड़वी दवा रूपी आर्थिक सुधारों और भ्रष्टाचार मुक्त सतत राजकीय क्रियान्वन से राजकीय खजाना बढ़ रहा है, तब उसका एक बड़ा हिस्सा आधारभूत ढांचे के अति-वांछनीय विकास में व्यय किया जा रहा है। इसी कारण देश में बंदरगाह से लेकर एयरपोर्ट और सड़क से लेकर बिजली व्यवस्था स्वतंत्र भारत में पहली बार कहीं अधिक चुस्त और गुणवत्ता से भरपूर दिख रही है, जिससे उद्यियों की लागत घट रही है और विदेशी-घरेलू निवेश को कहीं अधिक बल मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार अपने पूंजीगत व्यय में वृद्धि कर रही है। वित्तवर्ष 2021-22 में अपनी पूंजीगत व्यय 5.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर मोदी सरकार ने इसे वर्तमान 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र का कुल पूंजीगत व्यय 2014-15 में 5.6 लाख करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में 18.6 लाख करोड़ रुपये हो गया है, अर्थात– तीन गुना से अधिक की वृद्धि। आईएमएफ का कहना है कि डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण भारत वैश्विक विकास में 16 प्रतिशत से अधिक योगदान कर सकता है।

अंतरिम बजट प्रस्तुत होने से ठीक तीन दिन पहले वित्त मंत्रालय की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट जारी हुई थी। इसमें कहा गया है कि अगले तीन वर्षों में भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी, तो 2030 तक सात ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। यही बात आईएमएफ और विश्व बैंक रूपी प्रामाणित-स्थापित वैश्विक ईकाइयों की रिपोर्ट में भी परिलक्षित होती है। चालू वित्तवर्ष में सरकार ने जीडीपी विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यदि अगले वित्तवर्ष में इसी अनुमानित दर से हम विकास करते है, तो कोरोनाकाल के बाद चौथे साल भी भारत सात प्रतिशत की दर से विकास करेगा। चालू वित्तवर्ष के अप्रैल-दिसंबर में देश की खुदरा महंगाई दर 5.5 प्रतिशत रही, जिसमें आने वाले महीनों में भी कमी आने का अनुमान जताया गया है। कृषि से लेकर विनिर्माण और डिजिटल सेवा की बदौलत सेवा क्षेत्र में मजबूती आई है।

आर्थिक क्षेत्र में आए आमूलचूल परिवर्तनों का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण देश की गरीबी दर में आ रही सतत गिरावट है। नीति आयोग के अनुसार, पिछले नौ वर्ष में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आ गए हैं। सबसे अधिक उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान के लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। गत वर्ष आईएमएफ और विश्व बैंक अपनी-अपनी रिपोर्ट में भी इसी प्रकार का दावा कर चुके थे। इन संस्थाओं के अनुसार, मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याण योजनाएं देश में गरीबी घटाने में महती भूमिका निभा रही है। दिसंबर 2019 में घरों (हाउसहोल्ड) की शुद्ध वित्तीय संपदा जीडीपी के 52.8 प्रतिशत के बराबर थी, जो दिसंबर 2023 में जीडीपी के 65.5 प्रतिशत के बराबर हो गई। आधार को बैंक खाते से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर मोदी सरकार के जोर देने से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ी है।

वर्ष 2014 में बैंकधारकों की संख्या 15 करोड़ थी, जो जनधन योजना के बाद बढ़कर 51 करोड़ हो गई हैं, इनमें 55 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की हैं। जनधन खातों में 2.1 लाख करोड़ की राशि जमा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत, पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य गारंटी मिल रही है, जिसमें 12 जनवरी 2024 तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके है। 2018 में लागू होने के बाद से इस योजना ने सफलतापूर्वक छह करोड़ से अधिक अस्पताल प्रवेशों को पूरा किया है, जिसमें 79 हजार करोड़ रुपये से अधिक उपचार में व्यय हुआ है। इस प्रकार के सफल योजनाओं की एक लंबी सूची है। जब विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वित्तीय संकट, उच्च मुद्रास्फीति और निम्न विकास दर से जूझ रही हैं, उस समय भारत समृद्धि और स्थायित्व के साथ दुनिया के नक्शे पर अंकित हो रहा है।

-बलबीर पुंज-

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

बसंत आगमन

सर्दी की हो गई विदाई
आई ऋतु है बसंती।
पीली -पीली सरसों फूली,
धरती भी है हंसती।
धरा हो गई नई नवेली
बेला,गुलाब, कमल खिलते।
हरी,भरी खेती लहराती
गेहूं,चना,मटर है फलते।
सुनहरी चादर ओढ़े धरा,
बैठी टेक लगा के।
प्रिय आगमन की प्रतीक्षा में,
घाघरा उड़ने लगा लहरा के।
तरु की फुनगी में लगा,
केसर किसी ने मल दी।
बसंत आगमन होने से लगा,
ब्रम्हा ने नई सृष्टि रच दी।
बसंत आगमन सिखलाता ,
नव जीवन का यही गीत।
यदि हो सके तो बना लो,
किसी को अपना मीत

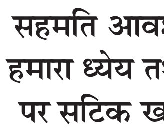

प्रेमा पटेल
वाराणसी, उत्तरप्रदेश

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

ईमानदारी साबित करने की बजाय जांच एजेंसियों से भाग क्यों रहे हैं केजरीवाल ?

17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की...विपक्ष का आरोप है कि नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान हुआ...प्रश्न यह है कि...अगर शराब घोटाले में केजरीवाल का हाथ नहीं है...तो वह क्यों जांच में शामिल होने से घबरा रहे हैं ?

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन को पांच बार अस्वीकार कर चुके हैं। यह संविधान को अस्वीकार करना और उसका उल्लंघन करना ही है। ईडी दिल्ली 'शराब घोटाले के बारे में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन स्वयं को कट्टर ईमानदारी का प्रमाण पत्र देने वाले कट्टर ईमानदार केजरीवाल जांच का सामना करने की बजाय राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार पर औषधि से लेकर मदिरा तक, शिक्षा से लेकर कक्षा तक और मोहल्ला क्लीनिक के लैब टेस्ट तक में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जब शराब घोटाले के आरोप लगे थे, तब आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई का समर्थन किया था। मगर केजरीवाल स्वयं ईडी के नोटिस को अस्वीकार कर रहे हैं।

17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। विपक्ष का आरोप है कि नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान हुआ। प्रश्न यह है कि, अगर शराब घोटाले में केजरीवाल का हाथ नहीं है, तो वह क्यों जांच में शामिल होने से घबरा रहे हैं? अगर शराब घोटाला हुआ ही नहीं, तो पॉलिसी में बदलाव क्यों किया और नई नीति क्यों लाई गई? केजरीवाल तो कई बार कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे डरते हैं, लिहाजा चुनावों में निष्क्रिय करने के मद्देनजर ईडी जांच और जेल के जाल बिछाए जा रहे हैं।

केजरीवाल शराब घोटाले को लेकर स्वयं को निर्दोष मानते हैं, इसलिए घोटालों के आरोपों का स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल के उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया बीते 11 माह से, शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों के कारण, कारागार में हैं। उनकी जमानत के तर्क सर्वोच्च न्यायालय तक अस्वीकार कर चुका है। केजरीवाल की पार्टी के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी घोटालों के आरोपों और साक्ष्यों के मद्देनजर कारागार में बंद हैं। यदि इतने महत्त्वपूर्ण साथी कारागार में हैं, तो क्या उन्होंने 'शराब नीति' का निर्णय स्वयं ही लिया था?

प्रश्न यह भी है कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता किसने की थी? कारागार वाले साथियों ने शराब माफिया के कुछ चेहरों को, जो कारागार में बंद हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर उनसे मिलवाया था, तो उसके प्रयोजन क्या थे? जिस मनी ट्रेल की ओर सर्वोच्च न्यायालय ने भी संकेत किए हैं, क्या मुख्यमंत्री और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर केजरीवाल उसमें संलिप्त नहीं थे? आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि जो शराब नीति उसने बनाई थी वही हरियाणा में भी चल रही है। लेकिन मोदी सरकार उसे निशाना बना रही है। अगर ऐसा है तो आम आदमी इसका पर्दाफाश क्यों नहीं करती। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मोदी सरकार केजरीवाल सरकार को निशाना बना रही है।

क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी को इसलिए टारगेट कर रही है कि ये मोदी सरकार के ख़िलाफ़ बहुत ज्यादा मुखर है और बड़े ही आक्रामक अंदाज में मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं पर आरोप लगाती है? आम आदमी पार्टी सभी को भ्रष्ट बताती रही है। इनमें राहुल गांधी, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, अदानी और अंबानी सभी शामिल हैं। लेकिन इनके ख़िलाफ़ उसके पास सुबूत कभी नहीं रहे। अब वही आम आदमी पार्टी कह रही है कि बगैर सुबूत के उसके नेताओं को जेल में भरा जा रहा है। लेकिन ये भी सही है कि अगर इन नेताओं के ख़िलाफ़ सुबूत नहीं थे तो अदालतों में ये केस इतने दिनों तक कैसे टिकते?

शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी अब तक 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गोरन्तला बुचिबाबू, अमित अरोड़ा, फ्रांसीसी शराब कंपनी के महाप्रबंधक बेनॉय बाबू, पी सरथ चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर, व्यवसायी अमनदीप धाल और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली शामिल हैं। इस मामले में एजेंसियां 80 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता के. कविता भी शामिल हैं। कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की थी। केजरीवाल ने संविधान की शपथ लेकर पद ग्रहण किया है और ईडी भी संवैधानिक जांच एजेंसी है। विपक्षी होने के मद्देनजर केजरीवाल ईडी के समन को 'राजनीतिक' करार दे रहे हैं और दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप भाजपा पर मढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी देश भर में घूम-घूमकर अपनी ईमानदारी और दिल्ली मॉडल का प्रचार करते हैं। केजरीवाल स्वयं को और अपने साथियों को 'कट्टर ईमानादारी' का प्रमाण पत्र बांटते हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर अन्य राजनीतिक दलों और संस्थाओं पर वो दिनदहाड़े आरोप लगाते हैं और प्रायः उनके अधिसंख्य आरोप निराधार और तथ्यहीन ही साबित हुए।

-डॉ.आशीष वशिष्ठ-

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

राजस्व भूमि को नजूल भूमि में बदलकर भूमि गबन करने पर एफआईआर आदेश क्यों नहीं ?

बन्शू लोहार के सामने क्यों नतमस्तक हुआ नजूल विभाग अम्बिकापुर ?

- 01/01/1951 में जन्मे बंशु लोहार को 1967-68 में कैसे जारी हुआ पट्टा?
- राजस्व भू-नक्शा 243/10 रकबा 4 एकड़ 25 डिसमिल व खसरा 154 रकबा 2 एकड़ 30 डिसमिल भूमि की सुनवाई तत्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो कैसे किये तथा अपने तबादला से एक दिन पहले आदेश क्यों दिये?
- राजस्व की भूमि को नजूल भूमि में बदले में 6 महीने से भी कम समय लगने के पीछे राज क्या?
- बिना कब्जे के नजुल भूमि को बंशु लोहार को देने के पीछे राज क्या?
- आखिरकार खसरा नंबर 154 रकबा 2.30 एकड़ व 243/10 रकबा 4.25 एकड़ की भूमि के भ्रष्टाचार में आवेदक के आरोप का जॉच क्यों है लम्बित...?
- बन्शु लोहार के पट्टा निराकरण स्वीकृति आवेदन में अधूरा मोबाईल नम्बर किस भू-माफिया का...?
- छः महीने में बंशु लोहार के आवेदन का निराकरण कर क्यों करोड़ो में बेचा गया भूमि...?
- बंशु लोहार (विश्वकर्मा) पट्टा प्राप्त करते समय अंगूठा छाप था तो रजिस्ट्री के समय हस्ताक्षर कैसे किया...?
- बंशु लोहार निर्धन मजदूर के नाम पर पट्टा विवाद का निराकरण करा आनन-फानन में क्यों बेचा अभिषेक नागदेव,अनुशा नागदेव,शेखर अग्रवाल, महेश कुमार केडिया,सतीश शर्मा, व दिनेश कुमार को...?
- बंशु लोहार के द्वारा किये गये सभी रजिस्ट्री में दिये गये पेन कार्ड में हस्ताक्षर वाले स्थान पर पट्टी (हस्ताक्षर छुपाने) क्यों लगाया ?
- बंशु लोहार के परिजनों की माने तो उसके बैंक खाता से किसी गोलू सेठ ने पैसा क्यों निकाला?

इनमें से बंशु लोहार कौन?

बंशु लोहार को मिले जमीन में उठते सवाल...?

- नाला की भूमि पर पट्टा कैसे बना?
- बंशु आत्मज भुटकुल लोहार फुन्दुरडिहारी निवासी है तो परसा का आधार और पेनकार्ड व निवास क्यों लगाया व दिखाया गया है?
- बंशु लोहार की जमीन के आसपास के रहवासी कितने दिनों से बंशु लोहार को जानते व पहचानते हैं?
- क्या कृषि भूमि को नजूल भूमि में लाने का अधिकार नजूल अधिकारी को था ?
- क्या गवाह बंशु लोहार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं?
- क्या बंशु लोहार फुन्दुरडिहारी निवासी के तौर पर राजस्व निरीक्षक नारायण सिंह ने पहचान की थी?
- उक्त खाली (परती) भूमि पर कब्जा कैसे प्रदर्शित हुआ ?
- क्या अधिकारी व कर्मचारी के मिली-भगत से शासकीय भूमि का गबन किया गया ?
- भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 व 110 नामांतरण के लिए होता है तो राजस्व भूमि का अंतरण नजूल भूमि में कैसे हुआ?

-भूपेन्द्र सिंह-
अम्बिकापुर,05 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिला मुख्यालय अम्बिकापुर में आये दिन भूमि विवाद से संबंधित सबसे ज्यादा मामला देखने-सुनने को मिलता है जिसका निराकरण होने में देर लगने के पीछे संबंधित विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारियों के साथ भू-माफिया का बड़ा रोल माना जाता है जिसका खामियाजा अमुमन उस भूमि में अपने खून पसीने की कमाई लगाने वाला आम जन ही भुगतता है जबकि उसके पैसे से ऐश करने वाले भू-माफि या आसानी से देखे जा सकते है। ऐसा ही एक मामला अम्बिकापुर के एम.जी.रोड स्थित राजमोहनी भवन के पीछे कई एकड़ में हो रहे दुर्तगति से भूमि समतलीकरण व अहाता निर्माण के रूप में देखा जा सकता है। जबकि कुछ वर्षो पहले तक वह सभी भूमि गोचर मद में दर्ज बताया व रिकार्ड में था भी लेकिन राजस्व विभाग के कारनामों के सामने सभी जनहित में काम करने वाले वेवस हो ही जाते हैं। रही बात शिकायत करने की तो ये भू-माफिया इतने पहुंच व पैसे वाले होते हैं कि सत्ता किसी भी पार्टी का हो राजस्व मंत्री से लेकर मंत्रालय,विभाग तक इनके जी-हुजूरी में ही अपना भला समझ मामले को जॉच का चोला पहनाकर आम जनमानस के ऑखों में धूल झोंकने का कोई प्रयास नहीं छोड़ते। एक ऐसा ही मामला बंशु लोहार (विश्वकर्मा) का सामने आया है जिसमें कुछ महीने में ही आवेदन प्राप्ति के साथ निराकरण कर कई करोड़ में भूमि को बेच दिया गया।

बंशु के पेन कार्ड से हस्ताक्षर एवं जारी दिनांक गायब क्यों?

क्या है बंशु लोहार आत्मज भुटकुल का पूरा मामला...

आवेदक की मानें तो नगर अम्बिकापुर में राज मोहनी भवन के पास मोहल्ला नमना कला अंबिकापुर में खसरा नंबर 243 स्थित है,उक्त भूमि पूर्व में 111.40 एकड़ भूमि थी। जो कालांतर में शासकीय प्रयोगों के लिए उपयोग में लाई गई और कुछ भूमि पर शासन के द्वारा पट्टा प्रदान किया गया तथा इसी से संबंधित भूमि पर व्यवहारवाद क्रमांक 41-ए-90 निर्णय दिनांक 23.09.1991 विचाराधीन था। जिस पर निर्णय पारित किया गया है और वर्तमान में उक्त भूमि का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय,बिलासपुर में विचाराधीन है। उक्त भूमि वर्तमान नक्शे में दत्ता कॉलोनी की भूमि खसरा नंबर 243 को भूमि डिग्री भूमि 233 के भाग में फर्जी तौर से समाहित कर नक्शा तैयार किया गया है। जबकि 233 खसरा नंबर भूमि का प्रकरण व्यवहारवाद में विचाराधीन था। जिसका अभी निराकरण नहीं होना बताया जा रहा है। इसी दौरान तात्कालीन नजूल अधिकारी,अंबिकापुर के न्यायालय में भू-माफिया द्वारा बन्सु आ0 भुटकुल लोहार निवासी-फुन्दुरडिहारी,अंबिकापुर जिला सरगुजा के माध्यम से एक राजस्व प्रकरण./अ-6/2021-22 में दिनांक 06.10.2022 को आदेश पारित किया गया है कि बंशु आ0 भुटकुल के द्वारा नजूल भूमि खसरा नंबर 154,243/10 रकबा क्रमशः 0.934,1.710 भूमि का पट्टा तहसीलदार अंबिकापुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 1967-68 आदेश दिनांक 15.04.1968 के माध्यम से मोहल्ला नमना कला नगर अंबिकापुर में स्थित नजूल भूमि भू खण्ड क्रमांक खसरा नंबर 154, 243/10 रकबा क्रमशः 934, 1.710 का पट्टा प्रदान किया गया है। किन्तु राजस्व अभिलेखों में नाम विलोपित हो गया है। जिसके आधार पर तात्कालीन नजूल अधिकारी तथा नजूल अधिकारी के लिपिक तिवारी एवं हल्का पटवारी गणेश मिश्रा व राजस्व निरीक्षक नारायण सिंह द्वारा मिलकर शासन की 60 करोड़ रूपये की भूमि का 04 करोड़ रूपये का मिलकर भू-माफियाओं से अवैध धन की उगाही कर भ्रष्टाचार कर नियम विरूद्ध शासकीय भूमि को बंशु आ0 भुटकुल के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 06.10.2022 को पारित करवा कर उक्त भूमि को अवैध प्लाटिंग कर 15-15 लाख रूपये प्रति डिसमिल से विक्रय किया जा रहा है। यह बहुत बडे भू-माफियाओं से मिलकर किया गया भूमि घोटाला है। जिसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना न्यायहित में जनहित के लिए आवश्यक है।

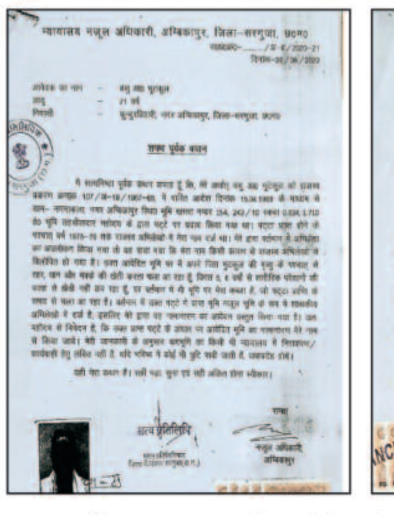

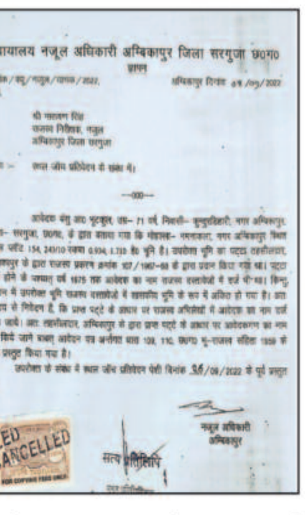

भूमि सरगुजा स्टेट सेटेलमेंट के अनुसार गोचर मद में था दर्ज

जबकि उक्त भूमि नगर सीमा से सटी हुई है,जिसके अनुसार वह भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार किसी भी परिस्थिति किसी को 01 वर्ष से अधिक के लिए कृषि कार्य से अतिरिक्त पट्टे पर प्रदान नहीं की जा सकती साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि सरगुजा स्टेट सेटेलमेंट के अनुसार गोचर मद में दर्ज है, जिसका किसी भी स्थिति में पट्टा प्रदान नही किया जा सकता है। इन सब तथ्यों का प्रकरण में विद्यमान होने के बाद भी तात्कालीन नजूल अधिकारी ने उक्त विधि विरूद्ध आदेश पारित कर शासन को 60 करोड़ रूपये की क्षति पहुंचाई है जिसकी जांच उच्च स्तरीय स्तर पर कर कार्यवाही किया जाना आवश्यक जान पड़ता है। क्योंकि यह राजस्व पत्रों की हेराफरी कर भू-माफियाओं से मिलकर तात्कालीन नजूल अधिकारी तथा उनका लिपिक और नमनाकला का हल्का पटवारी गणेश मिश्रा एवं राजस्व निरीक्षक(नजुल) नारायण सिंह और भू माफिया के द्वारा किया गया भूमि घोटाला बताया जा रहा है,जिसकी जांच करने से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि किस तरह से राजस्व अधिकारी भू माफियाओं से मिलकर सरगुजा जिले और खास तौर से अंबिकापुर तहसील में भूमि का करोड़ो घोटाला कर रहे हैं।

जिला कलेक्टर सरगुजा भोस्कर विलास संदिपान ने उक्त मामले में बताया की राजमोहनी वार्ड के उक्त भूमि पर आवेदक के शिकायत एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम अम्बिकापुर फागेश सिन्हा को जांच हेतु कहा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कार्यवाही की जायेगी।

भोस्कर विलास संदिपान, कलेक्टर सरगुजा

नजूल अधिकारी देव सिंह ऊईके अम्बिकापुर ने बंशु आत्मज भुटकुल के प्रकरण के सम्बन्ध में कहा कि यह प्रकरण हमारे समय का नहीं है। उसमें स्थगन आदेश हेतु हम कलेक्टर साहब से मागदर्शन मांगने गये थे पर स्थगन आदेश जारी नही किया गया और कलेक्टर साहब ने एसडीएम को बुलाकर प्रकरण का मूल दस्तावेज जांच हेतु दे दिया हैं तथा इस प्रकरण के सम्बन्ध में...मै और कुछ भी जानकारी नही दे सकता हूं। एसडीएम अम्बिकापुर ही इसके सम्बन्ध में बता सकते हैं।

देव सिंह उईके, नजूल अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर)अम्बिकापुर

फागेस सिन्हा एसडीएम अम्बिकापुर ने कहा कि इस बंशु आत्मज भुटकुल की फाईल जांच हेतु प्राप्त हुई है पर जब से यह प्रकरण जांच हेतु मुझे प्राप्त हुआ,उसके बाद से मैं अवकाश में था कुछ दिन पूर्व ही आया हूं। प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जायेगी,जांच के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा।

फागेस सिन्हा, एसडीएम अम्बिकापुर

उप पंजीयक सिद्धार्थ शंकर मिश्रा ने बताया कि रजिस्ट्री में पेन कार्ड दस लाख के उपर हुए भूमि बिक्री में अनिवार्य है हम मात्र पेन कार्ड नं. एन्ट्री करते है,पेन कार्ड में कोई कूटरचना है तो न्यायालय में परिवाद दायर किया जा सकता है तथा रजिस्ट्री में लगाये गये चेक क्र. से हमे मतलब नहीं है और पक्षकार को कोई दिक्कत नहीं है तो हमे भी कोई दिक्कत नहीं होती। आगे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पक्षकार हस्ताक्षर करता है या अंगुठा लगाता है यह हमारे जांच का विषय नहीं है। हमारा काम भूमि स्वामी के द्वारा भूमि बिक्री का दस्तावेज पेश किया जाता है तो हम विक्रेता से पूछते है कि आप अपनी भूमि कितने में बेच रहे हो आप को पैसा मिला या नहीं विक्रेता के संतुष्ट होने पर ही भूमि की रजिस्ट्री की जाती है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि हमारे यहां क्रेता-विक्रेता के समस्त दस्तावेजों का सत्यापन कर रजिस्टर्ड दस्तावेज लेखक भूमि रजिस्ट्री हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिसके समस्त दस्तावेजो के जांच का जिम्मा उन पर ही होता है।

सिद्धार्थ शंकर मिश्रा,उप पंजीयक,अम्बिकापुर

क्या छः रजिस्ट्री में शामिल गवाह संदेह के दायरे में...?

बंशु आत्मज भुटकुल लोहार के भूमि रजिस्ट्री में दस्तखत किए गवाह रमन शुक्ला,नितिश गुप्ता,अभिषेक नागदेव,आकाश कुमार अग्रवाल,तुलसी अग्रवाल,बंशु लोहार(विश्वकर्मा) को व्यक्तिगत पहचानते-जानते थे या भूमि के बंदरबाट में शामिल होने के एवज में बिना सोचे-समझे गवाही देकर रजिस्ट्रार के समक्ष दस्तखत कर उक्त भूमि के रजिस्ट्री को वैध बनाने में मदद किए?

फर्जी तौर से आगे के पन्नों में नाम उल्लेखित करने का लेख आदेश में क्यों किया गया...?

बन्सु आ0 भुटकुल लोहार निवासी-फुन्दुरडिहारी,अंबिकापुर जिला सरगुजा के मामले में उल्लेखनीय है कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 107/अ-19/1967-68 आदेश दिनांक 15.04.1968 के अनुसार अंबिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 243/10 रकबा 4.25 एकड़ भूमि बंशु आ0 भुटकुल लोहार को भूमि प्राप्त हुई। खसरा पंचशाला वर्ष 1967-68 से वर्ष 1972-73 के आधार पर वर्ष में 241 के बाद 243/11 के बीच का पन्ना पृष्ठ क्रमांक 89 एवं 90 नहीं पाया गया,जिसके आभाव में खसरा कमांक 243/10 के स्वामित्व के संबंध में उल्लेखित नहीं किया जा सका। जो यह प्रमाणित करता है, कि उक्त वर्ष के खसरा पंचशाला में उसका नाम दर्ज नहीं है,जिस कारण से उक्त खसरा पंचशाला पृष्ट क्रमांक 89 व 90 को फाड़ कर हटा दिया गया है ताकि सच्चाई प्रदर्शित न हो सके और फर्जी तौर से आगे के पन्नों में नाम उल्लेखित करने का लेख आदेश में किया गया है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि उक्तभूमि में वर्तमान में कई लोग निवासरत है तथा घनी आबादी की भूमि है, उस पर उसका कब्जा बताया जा रहा है तथा यह भी उल्लेखित किया जा रहा है कि चालू नक्शे के अनुसार भू-खण्ड कमांक 243/10 में आवेदक का कभी कब्जा नहीं रहा है। उसका चालू नक्शे के अनुसार 243/1 रकबा 38 एकड़,15 डिसमिल जो कि शासकीय नजूल भूमि का भाग है जो मौके पर खुली एवं परत भूमि है। उस भूमि पर कब्जा होने के कारण उसे 243/10 जो कि राजस्व भूमि बतायी गई थी के स्थान पर 243/1 में से रकबा 1.710 हेक्ट0 यानी 4 एकड़,25 डिसमिल भूमि नजूल का नामांतरण किया जाना उचित प्रतीत होने से नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह कैसे संभव है,कि किसी को यदि कोई पट्टा राजस्व भूमि का 243/10 का यदि मिला भी होगा तो उसे उसके स्थान पर लगभग 55 साल के बाद नया भू-खण्ड 243/1 मे से 04 एकड़,25 डिसमिल भूमि में नाम दर्ज करने का आदेश दे दिया जाये साथ ही उसे राजस्व भूमि की तरह संबंधित अधिकारी ने भू माफियाओं से मिलकर तत्काल बेचने के उद्देश्य से दिनांक 07.10.2022 का नवीन संशोधन का उल्लेख करते हुए उसे 20 वर्ष पूर्ण करने के आधार पर भू स्वामी अधिकार भी प्रदान कर दिया है। राजस्व विभाग के जानकारों की मानें तो नियम विरुद्ध तरीके से लगभग 60 करोड़ रूपये की भूमि का फर्जी तौर से नामांतरण कर दिया गया। जिस व्यक्ति के नाम जमीन का नामांतरण किया गया उसका कब्जा कभी भी उस जमीन पर नहीं था लेकिन विभागीय सूत्रों की माने तो चार करोड़ रूपये की सेटिंग में कुछ कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से जमीन का नामांतरण कर दिया। नामांतरण से पहले ही जमीन पर दूसरे लोगों का निर्माण था। राजस्व अभिलेखों में नाम अंकित होते ही संबंधित व्यक्ति ने उक्त जमीन को नियम विरुद्ध तरी? से बेचना भी शुरू कर दिया है। मामले में नजूल अधिकारी व कार्यालय के एक लिपिक और नमनाकला के हलका पटवारी तथा नजूल निरीक्षक की भूमिका संदिग्ध है। मामले की शिकायत कमल सिंह व मनीष सिंह ने अलग-अलग आवेदन के माध्यम से उक्त भूमि गबन के संबंध में कलेक्टर सरगुजा से शिकायत की है पर शिकायत के एक महीना बीत जाने के बाद भी मामले में कोई ठोस कार्यवाही होता नजर नहीं आ रहा है। जबकि शिकायतकर्ताओं की मानें तो उक्त भूमि गबन के मामले में उच्च स्तरीय जांच हो जाने पर एक बड़े फर्जीवाड़े के साथ उक्त भूमि के खरीद-फरोख्त में शामिल नजूल विभाग के तत्कालीन अधिकारी-कर्मचारी सहित धनाड्यों के साथ दस्तावेज में कूटरचना करने वाले लोगों को जेल जाने से नहीं रोका जा सकता पर यहां सबसे बड़ी विडम्बना मामले में देखने को मिल रहा है कि इतने बड़े भूमि गबन के मामले में वह कहावत कि ''बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे'' पर अटका हुआ है।

शुरू हुआ महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरना,महिलाओं में दिख रहा भरपूर उत्साह

नानदमाली और कुबेरपुर की महिलाओं ने किया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद

- संवाददाता -
अंबिकापुर,05 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

महतारी वंदन योजना के तहत सोमवार 5 फरवरी से महिलाओं द्वारा आवेदन भरने की शुरुआत हो चुकी है और महिलाओं में योजना का लाभ लेने गजब का उत्साह भी देखा जा रहा है। पहले ही दिन से आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाएं आवेदन भरने पहुंच रही हैं। योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में आवेदन भरने पहुंची नानदमाली की रीता गुप्ता ने योजना की सराहना की। इसी तरह कुबेरपुर की मनिया कुशवाहा ने भी इस योजना से महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद किया।

राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। जिले में ऑनलाईन फॉर्म एवं ऑफलाईन पंजीयन शुरू हो गया है। जिला स्तर पर फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि महिलाओं फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल तथा मोबाईल एप के माध्यम से स्वयं भी आवेदन कर सकती हैं। महतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत स्तर पर, शहरी क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी स्तर पर सहित परियोजना कार्यालय, जिला कार्यालय में उपलब्ध हैं।

मोबाइल नम्बर नहीं होने पर राशन कार्ड की छायाप्रति कर सकते हैं जमा

यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।

योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र,राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी,वार्ड,ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वीं या 12 वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र,पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

विवाह पंजीयन नहीं होने पर स्वघोषणा शपथ पत्र जमा किया जा सकता है

महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है।

पखवाड़े भर हुए मतदान प्रक्रिया में भाजपा समर्थित पुष्पा जनपद अध्यक्ष हुईं निर्वाचित

- संवाददाता -
सूरजपुर,05 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

जनपद पंचायत सूरजपुर के रिक्त पड़े अध्यक्ष पद पर पखवाड़े भर बाद आज निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिसमें मानी की भाजपा समर्थित जनपद सदस्य ने एक वोट से जीत दर्ज करके जनपद अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई हैं। पखवाड़े भर पूर्व ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर जनपद अध्यक्ष जगलाल सिंह देहाती को हटा दिया गया था, इसके बाद से यहां पर जनपद अध्यक्ष पद खाली था। दरअसल सूरजपुर जिले के सबसे बड़े जनपद पंचायत सूरजपुर में पिछले दिनों 15 दिसंबर को जनपद सदस्यों द्वारा जनपद अध्यक्ष जगलाल सिंह देहाती व जनपद उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव पर मनमानी तरीके से कार्य करने व जनपद सदस्यों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। इसके पश्चात कलेक्टर के निर्देश पर 10 जनवरी को जनपद अध्यक्ष जगलाल सिंह देहाती को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पद से पृथक कर दिया गया था, हालांकि 11 जनवरी को कांग्रेस समर्थित जनपद उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने अपनी कुर्सी को बचाए रखने में सफलता जरूर प्राप्त कर ली थी। इसके पश्चात से रिक्त सूरजपुर जनपद अध्यक्ष पद पर सोमवार को कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर जनपद सभा कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी डिप्टी कलेक्टर रवि सिंह की उपस्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की गई। यहां पर जनपद अध्यक्ष पद हेतु भाजपा समर्थित मानी की जनपद सदस्य पुष्पा सिंह व कांग्रेस समर्थित छत्तरपुर जनपद सदस्य राम मरावी द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। इसके पश्चात मतदान की प्रक्रिया के दौरान 25 में से उपस्थित 24 जनपद सदस्यों द्वारा मतदान किया गया। मतदान उपरांत गिनती में एक मत निरस्त हो गया और भाजपा समर्थित जनपद सदस्य पुष्पा सिंह को 12 व कांग्रेस समर्थित राम मरावी को 11 मत हासिल हुए, जिसमे भाजपा समर्थित पुष्पा सिंह एक मत से चुनाव जीतकर जनपद अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमा लिया। नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष पुष्पा सिंह के समर्थन में प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी सक्रिय रहे। नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

37 वीं राष्ट्रीय जुनियर बास्केटबॉल चैम्पियनशिप के लिए प्रज्ञा मिश्रा का चयन

- संवाददाता -
अंबिकापुर,05 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

जिला बास्केटबाल संघ के प्रतिभावान व अंतरराष्ट्रीय बास्केटबाल खिलाड़ी प्रज्ञा मिश्रा का छत्तीसगढ़ प्रदेश जुनियर बालिका टीम में चयन, यह टीम 4 से 11 फरवरी तक 37वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल जुनियर चैम्पियनशिप प्रतियोगिता भुवनेश्वर, उड़ीसा में चल रही प्रतियोगिता में भाग लेगी। प्रज्ञा मिश्रा का चयन छत्तीसगढ़ प्रदेश जुनियर बालिका टीम होने पर सरगुजा जिला बास्केटबाल संघ के संरक्षक आदरणीय अनिल सिंह मेजर और अध्यक्ष आदितेश्वर शरण सिंहदेव द्वारा विशेष रूप से बधाई दिया। राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि 2024 में सरगुजा जिला को बास्केटबाल खेल में सरगुजा नाम के लिए कई उपलब्धि हासिल किया सब - जुनियर बालक जुनियर बालिका वर्ग में गोल्ड मेडल व खेलो इंडिया युथ गेम्स के साथ 8 राष्ट्रीय खिलाड़ी सरगुजा जिला बास्केटबाल संघ के द्वारा दिया। इस वर्ष की शुरुआत अच्छी है राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह इस उपलब्धि द्वारा अपनी मांग के लिए विशेष रुप से निवेदन किया अम्बिकापूर विधायक महोदय,सभी वरिष्ट जनप्रतिनिधि व सरगुजा कलेक्टर महोदय से की गांधी स्टेडियम के मल्टीपरपज इन्डोर हाल में बास्केटबाल का पोल व आउटडोर में उच्च मापक का बास्केटबाल पोल लगाया जाए।

मध्यप्रदेश से शराब परिवहन करने वाले दो व्यक्ति गिरफ्तार

- संवाददाता -
खड़गवां,05 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

खड़गवां थाना प्रभारी आर एन गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, अंकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक एमसीबी सिद्धार्थ तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एम.सीबी निमेश बरेईया डीएसपी तरशीला टोप्पो के निर्देशानुसार अवैध शराब बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी दीपीका मिंज के मार्ग दर्शन में उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह प्र0आर0 02 रघुनंदन सिंह सैनिक 382 विनय श्याम को दिनाक 04/02/2024 को रात्रि रोड पेट्रोलिंग गस्त के दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ था कि एक सफेद रंग का टाटा नेक्शान CG15EA3371 में अग्रेजी शराब बिजूरी जिला अनुपपुर (म0प्र0)

तरफ से खडगवा होकर जा रहे है। जिसकी सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों को साथ लेकर ग्राम बरदर डेम पुलिया के पास घेरा बंदी कर टाटा नेक्शन कार CG1SEA3371 को रोककर नाम पता पूछने पर चालक द्वारा अपना नाम एजाज एवं उसका साथी दया साहू साकिन लुण्ड्रा जिला सरगुजा का रहने वाला बताया और बिजूरी शराब दुकान से शराब लेकर लुण्ड्रा बिक्री करने ले जाना बताया जिसे विधिवत वाहन का तलाशी लेने पर कार के पीछे सीट व डिक्की में कुल 30 पेटी गोवा व्हीस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक पेटी में 50-50 नग कुल 1500 पाव 270 लीटर कीमत लगभग 165000 रूपये का होना पाया गया। आरोपीयों को नोटिस देकर शराब बिक्री करने या परिवहन करने का पास परमिट चाहा गया जो पास परमिट नहीं होना बताने पर आरोपीयों कब्जे से उक्त शराब एवं टाटा नेक्शन कार क्रमांक CG15EA3371 कीमत लगभग 1200000 रूपये का गवाहों के समक्ष जप्ती कार्यवाही किया गया। आरोपीयों के विरुद्ध अपराध सदर धारा 34(2) आब एक्ट का घटित करना सबूत पाए जाने से आरोपी दया साहू एवं एजाज खान विधिवत गिरफ्तार कर आरोपीयो के विरूद्ध अप0 क्र0 42/2024 धारा 34(2) आब एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपीयों को रिमाण्ड पर भेजा गया।

खड़गवां पुलिस ने इस अवैध शराब मध्यप्रदेश के बिजुरी से लेकर आना बताया जा रहा है तो क्या इस अवैध बिक्री करने वाले पर भी कार्यवाही होगी क्या?

हाईवे में खडी ट्रेलरों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस एवं साइबर सेल की टीम ने किया गिरफ्तार

- संवाददाता -
कोरबा,05 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

कटघोरा के साकिन राइस मिल कारखाना एरिया निवासी प्रार्थी श्रीकांत अग्रवाल पिता सुरेश अग्रवाल उम्र 34 ने एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 24 जनवरी 2024 को प्रार्थी के ट्रेलर क्रमांक सीजी 04 जेबी 9361 जिसका ड्राइवर धनीराम पटेल पिता बसंत पटेल तथा हेल्पर सिवा उक्त ट्रेलर में चांवल लोड कर कटघोरा से करीब 11:00 बजे रायपुर के लिये निकला था कि रात्रि करीबन 02:30 बजे ट्रेलर का रस्सी खुल जाने से नेशनल हाईवे गोपालपुर घाट ओव्हर ब्रिज के पास उक्त ट्रेलर को खड़ी करके ड्राइवर धनीराम पटेल तथा हेल्फर शिवा के द्वारा रस्सी से उक्त बोरियो को बांधा जा रहा था के उसी समय पीछे से एक बिना नंबर के सफेद स्कॉर्पियो वाहन में बैठकर तीन-चार अज्ञात व्यक्ति आये ड्राइवर व हेल्फर को डरा धमका कर ट्रेलर क्र. सीजी 04 जेबी 9361 की डीजल टंकी की लॉक को तोडकर जबरदस्ती 250 लीटर डीजल को लूट कर सभी स्कॉर्पियो वाहन में पाली की ओर भाग गये है कि रिपोर्ट पर पुलिस सहायता केन्द्र चैतमा थाना पाली में अपराध क्रमांक 34/2024 धारा 392 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर अज्ञात आरोपियों का पता तलाश में लिया गया था। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला एवं अति.पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा नेहा वर्मा के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा पंकज ठाकुर के निर्देशन पर थाना प्रभारी पाली चमन लाल सिन्हा के नेतृत्व अज्ञात आरोपियों की पता तलाश के दौरान दिनांक 04 फरवरी 2024 को मुखबिर से सूचना मिला कि, प्रकरण के संदेही आरोपी चैतमा क्षेत्र में घूम रहा है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर चार अलग-अलग टीम तैयार कर घेराबंदी कर संदेही आरोपी नीला राम कुर्रे पिता दुकालू राम कुर्रे उम्र 40 साल साकिन बगडबरी,थाना बलौदा,जिला जांजगीर चांपा,को पूछताछ करने पर अपने साथी संजय कुमार कुर्रे, प्रवीण कुमार कुर्रे, संदीप डहरिया, सुक कुमार उर्फ भीम, सुनील कैवर्त तथा अन्य के साथ घटना दिनांक को अपनी स्कॉर्पियो क्रमांक सीजी 12 बीके 5380 में योजना बनाकर एनएच 130 गोपालपुर ओव्हर ब्रिज के पास उक्त ट्रेलर क्रमांक सीजी 04 जेबी 9361 के ड्राइवर को तथा हेल्फर को डरा धमका कर नकली पिस्टल दिखाकर 250 लीटर लूटना तथा उक्त डीजल को राजा बाबू रत्नाकर तथा अनुज कुर्रे के पास बेचना बताया । आरोपी नीला राम कुर्रे के निशानदेही पर ग्राम बगडबरी खिसोरा, करहीडीह, परसाही, बाना, दबिश दिया गया,जो आरोपी संजय कुर्रे पिता वेद प्रकाश कुर्रे उम्र 28 साल साकिन भाटापारा बगडबरी, थाना बालौदा, जिला जांजगीर चांपा, तथा प्रवीण कुमार कुर्रे पिता स्व जोहन लाल कुर्रे उम्र 36 साल साकिन बिरगहनी, थाना बालौदा जिला जांजगीर चांपा, से पूछताछ करने पर घूम-घूमकर चोरी व लूट करके उक्त स्कॉर्पियो में लोड कर परसाही एवं करहीडीह निवासी के पास बेचना बताये । तीनों आरोपियों के पास से 250 लीटर डीजल एवं घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग का स्कॉर्पियो क्रमांक सीजी 12 बीके 5380, पाना, रॉड नुकीलानुमा पाईप तथा घटना में उपयोग एक डुप्लीकेट पिस्टल नुमा बंदूक जप्त किया गया है तथा चोरी लूट के डीजल खरीद दार आरोपी अनुज कुर्रे पिता जानकी प्रसाद कुर्रे निवासी करहीडीह थाना बलौदा से 11 नग 35 लीटर वाले डिब्बा में भरा कुल 300 लीटर डीजल , 06 नग ड्रम, 02 नग छोटा ड्रम, 25 नग खाली 35 लीटर वाली, खाली जरकन एक टुल्लू पंप डीजल निकालने में उपयोग दो नग बाल्टी, तथा राजा बाबू रत्नाकर पिता तामेष्वर प्रसाद उम्र 25 साल साकिन परसाही बाना से 08 नग 35-35 लीटर में भरा 250 लीटर, दो नग पाइप को जप्त किया गया है। प्रकरण में कुल पांच आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपियों का न्यायिक रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी पाली में शेष करने पर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाता है तथा चार आरोपी फरार है। उक्त प्रकरण में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पंकज ठाकुर के नेतृत्व में थाना प्रभारी पाली निरीक्षक चमन सिंहा, थाना प्रभारी कटघोरा तेजप्रकाष यादव, साइबर सेल प्रभारी रॉबिंसन गुड़िया भा पु से ,अजय सोनवानी ,प्रधान आर चंद्रशेखर पांडे ,राजेश कवर , डेमन ओग्रे ,रितेश शर्मा , आलोक टोप्पो,सुशील यादव ,वीरकेश्वर प्रताप , रेणु टोप्पो, चौकी प्रभारी सउनि चंद्रपाल खांडे हमराह थाना पाली एवं थाना कटघोरा टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां की कुर्सी पर पदस्थ नेत्र सहायक का मोह नहीं जा रहा है वर्षों से...एक ही जगह पर जमे हुए हैं अंगद के पांव की तरह

» प्रोत्साहन राशि में फर्जी वाड़ा करने के आरोप भी लगे थे ?

» क्या सरकार के बदलने के बाद इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए प्रोत्साहन राशि में फर्जी वाड़े की जांच होगी ?

- राजेन्द्र शर्मा -
खड़गवां,05 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां की कुर्सी से लगता है पदस्थ नेत्र सहायक का मोह नहीं जा रहा है, जो नेत्र सहायक संविदा का सफर तय करने वाले नेत्र सहायक है जो पिछले आठ से दस वर्षों से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर अंगद के पांव की तरह जमे हुए है। जबकि पूर्व एवं वर्तमान राज्य शासन द्वारा समय- समय पर शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों की सर्जरी की जाती रही है। कांग्रेस सरकार के शासन में राजनीतिक संरक्षण और कांग्रेस नेता के बहुत ही करीबी रिश्तेदार होने के कारण सत्ता पक्ष का पूरा संरक्षण प्राप्त था। और कांग्रेस की सरकार के समय आयुष्मान एवं खूबचंद बघेल योजना की प्रोत्साहन राशि में बड़े फर्जी वाडे के मामले में भी बड़े चर्चा में रहे और दो अलग-अलग आईडी से दो दो बार राशि आहरण करने की शिकायत भी कलेक्टर से लेकर राज्य शासन तक हुई मगर इन नेत्र सहायक की कांग्रेस शासन में ऊंची पहुंच के कारण प्रोत्साहन राशि में हुए फर्जी वाडे में जाच को आंच भी नहीं आई और जांच के नाम पर लीपापोती कर दिया गया है।

नेत्र सहायक को खड़गवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बी एम ओ ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दे रखी है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सभी योजनाओ का लेखा-जोखा एवं दस्तावेजो की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एकाउंटेंट के होने के बाद भी नेत्र सहायक को ये जिम्मेदारी आखिर क्यों दी गई है ?

अब सवाल ये उठता है कि जब ये नेत्र सहायक चिकित्सक अपना कार्यालयीन समय एकाउंट और दस्तावेजो के कार्य में लगे रहता है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए आंख के मरीजों की कब जांच करता होगा जो 562 केस की जांच और आईपीडी में भर्ती कर इलाज करने के एवज में 135912.21 रूपए की राशि प्राप्त कर रहा इस तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में आयुष्मान एवं खूब चंद बघेल योजना के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जी वाड़ा किया गया है?

जैसे अजगर को उसके जगह से हटाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ठीक उसी किस्म के नेत्र सहायक साहब लगते है।लगता है इनको खड़गवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हवा-पानी कुछ ज्यादा ही भा गया है, इसीलिए खड़गवां का मोह नही छोड़ पा रहे है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि नेत्र सहायक साहब को यहां मन मुताबिक खजाने की जिम्मेदारी के साथ भारी-भरकम खरीदी का कमीशन भी धड़ल्ले से वसूल किया जा रहा है। खरीदी राशि से ये कहकर कमीशन की राशि का मांग किया जाता है कि कुछ देख लेना साहब के लिए?जब तक कमीशन की राशि नहीं मिलती खरीदी के बिल पड़े धूल खाते है।

शासन-प्रशासन को इस तरह के मामलों को संज्ञान में लेते हुए वर्षो एक जगह पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को अन्यत्र करने की जरूरत है जिससे इस तरह के हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके ?

लोकसभा चुनाव से पूर्व पुलिस विभाग में हुई बड़ी सर्जरी के अंतर्गत कोरबा के नए पुलिस कप्तान होंगे सिद्धार्थ तिवारी

- संवाददाता -
कोरबा,05 फरवरी 2024(घटती-घटना)।

लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में की बड़ी सर्जरी । जिसके अंतर्गत एमसीबी जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी को कोरबा का नया एसपी बनाया गया है जबकि जिले के वर्तमान पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला का तबादला दुर्ग जिला में कर दिया गया है । वहीं बिलासपुर रेंज के आईजी रहे अजय यादव को रायपुर भेजा गया एवं आईपीएस संजीव शुक्ला बिलासपुर रेंज के नए आईजी होंगे ।

आईपीएस चंद्रमोहन की सरगुजा संभाग में वापसी...

नवीन जिले एमसीबी के होंगे नए पुलिस अधीक्षक

सूरज सिंह होंगे कोरिया जिले के नए पुलिस अधीक्षक

चद्रमोहन रह चुके हैं कोरिया के एसपी...अब कोरिया से कट कर बने नवीन जिला एमसीबी के होंगे एसपी

कोरिया में रहते हुए सभी 12 थानों के थे एसपी... अब एमसीबी जिले के 8 थानों के रहेगे एसपी

चंद्रमोहन सिंह रह चुके हैं पूर्व में कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक,कोरिया से ही अलग होकर बना है नवीन जिला एमसीबी,अब नवीन जिले की सम्हालेंगे कमान

रात 12 बजे आया तबादला आदेश,46 आईपीएस हुए इधर से उधर

प्रदेश के 46 आईपीएस अधिकारियों का तबादला रविवार देर रात किया गया। रात 12 बजे आदेश जारी हुआ और रात से ही यह खबर भी प्रकाशित होने लगी की कौन आईपीएस कहां से कहां भेजा गया। आईजी सहित कई जिले के पुलिस अधिक्षक इस तबादला आदेश से प्रभावित हुए हैं जिन्हे अब नई पदस्थापना पर कार्यभार करना है।

लंबे इंतजार के बाद जारी हुई तबादला सूची

प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आईएएस अधिकारियों का तबादला जल्द ही कर दिया गया था वहीं आई पी एस अधिकारियों का तबादला कब होगा इसको लेकर लगातार इंतजार हो रहा था। माना जा रहा था की पुरवर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पदस्थ किए गए कई पुलिस अधीक्षक अब नई जगह नई जिम्मेदारी निभाने भेजे जाएंगे लेकिन आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी होने में विलंब हो रहा था। अब जब तबादला सूची जारी हो गया है लोगों का इंतजार खत्म हो गया है और अब नए पुलिस अधीक्षकों के स्वागत के लिए लोग उत्साहित हैं। कई जिलों में भाजपा नेताओं की मांग थी की उनके जिले के पुलिस अधीक्षक को हटाया जाए जिसे मानकर यह तबादला किया गया है ऐसा माना जा रहा है।

-रवि सिंह-
कोरिया/एमसीबी,05 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

रविवार देर रात पुलिस मुख्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से 46 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई जिसमें आईजी स्तर के अधिकारियों सहित कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को वर्तमान पदस्थ पदस्थापना से स्थानांतरित कर दिया गया है और अब वह नई नई जगह आगे जिम्मेदारी संभालेंगे। आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में कोरिया जिले सहित कोरिया जिले से अलग होकर नवीन बने जिले एमसीबी जिले के भी पुलिस अधिक्षक का नाम शामिल है जिनकी जगह अब कोरिया जिले की कमान चौथी वांहिनी माना छत्तीसगढ़ में पदस्थ सूरज सिंह परिहार कोरिया जिले की कमान सम्हालेंगें साथ ही नवीन जिले एमसीबी की कमान चंद्रमोहन सिंह सम्हालेंगे जो पहले कोरिया जिले में पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। चंद्रमोहन सिंह कोरिया जिले के विभाजन से पूर्व जिले में पदस्थ थे और वह सम्पूर्ण कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक बतौर काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वह विभाजन के बाद बने नए एमसीबी जिले के पुलिस अधीक्षक पद की जिम्मेदारी संभालेंगे जिनमे पुलिस थाने भी अब कम हैं पूर्व की अपेक्षा साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जिला छोटा होगा।

कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल को नवीन जिले बिलाईगढ़ छुई खदान की जिम्मेदारी मिली है और अब वह नवीन जिले के पुलिस अधीक्षक बतौर काम करने रवाना होंगे। आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में एमसीबी भेजे गए चंद्रमोहन सिंह का नाम सबसे चौंकाने वाला है क्योंकि यह वही चंद्रमोहन सिंह हैं जो कोरिया जिले में पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं और जिन्होंने बैकुंठपुर के एक बिल्डर में ऊपर कार्यवाही करने की हिम्मत दिखाई थी और बिल्डर को कानून का पाठ पढ़ाया था यह इनकी एक बड़ी उपलब्धि जिले में उनके कार्यकाल के दौरान दर्ज हुई थी। वहीं जिस समय चंद्रमोहन सिंह कोरिया जिले के पुलिस कप्तान थे तबका उनका कार्यकाल अवैध कारोबार मामले में बेहतर नहीं रहा बशर्ते उनके कार्यकाल में अवैध कारोबार जमकर जिले में फलता फूलता रहा जिसपर अंकुश लगाने को लेकर उन्होंने कोई तत्परता तब नहीं दिखाई थी। माना यह जा रहा है की एमसीबी जिले में चंद्रमोहन सिंह की पदस्थापना उनके खुद के प्रयास से हुई है जिसके लिए उन्होंने मनेंद्रगढ़ विधायक स्वास्थ्य मंत्री का सहारा लिया है और तब जाकर उन्हे एमसीबी नवीन जिले में नई पदस्थापना मिल सकी है। वही कोरिया जिले में उनका कार्यकाल बिल्डर पर कार्यवाही को लेकर उपलब्धि भरा कहा जा सकता है लेकिन अवैध कारोबार मामले में उनका कार्यकाल कहीं न कहीं ऐसा नहीं रहा जिससे अवैध कारोबारियों में पुलिस या कानून को लेकर भय देखा गया हो। अब जब उन्हे नवीन जिले एमसीबी की जिम्मेदारी मिली है और वह भी उस नवीन जिले की जो कोरिया जिले से ही अलग हुआ है और अब नवीन जिला है जिसको वह पहले से भलीभांति जानते हैं पहचानते हैं क्या वह इस बार अवैध कारोबार पर अंकुश लगाएंगे या फिर उनका इस मामले में मौन ही देखने को मिलेगा?

कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक होंगे सूरज सिंह,राष्ट्रपति से मिल चुका है इन्हे अवार्ड

कोरिया जिले के नए पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह मूलतःउत्तरप्रदेश के निवासी हैं जिनकी प्राथमिक शिक्षा जहां जौनपुर से हुई है और जिसके बाद उन्होंने आगे अध्ययन करने के लिए कानपुर का रुख किया था जहां से उन्होंने आगे की पढ़ाई की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,सहित राज्य प्रशासनिक सेवा में काम कर चुके सूरज सिंह ने अपनी प्रतिभा के बल पर आईपीएस की भी परीक्षा पास की और वर्ष 2015 में वह आईपीएस बन सके। हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़कर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया वहीं उन्होंने कुछ समय तक अंग्रेजी विषय की खुद कोचिंग भी चलाई। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र भी रह चुके हैं सूरज सिंह। सूरज सिंह परिहार राष्ट्रपति के हाथों भी अवॉर्ड पा चुके हैं जो उनके कविता के लिए उन्हे मिला है । वर्तमान में वह चौथी वाहिनी माना में सेवा प्रदान कर रहे थे और जिसके बाद उन्हें कोरिया जिले की कमान सौंपी गई है पुलिस विभाग की। सूरज सिंह परिहार आईपीएस सबसे पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही के पुलिस अधीक्षक बनाए गए थे बाद में उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का एडीसी बनाया गया था वह दंतेवाड़ा में एएसपी भी रह चुके हैं। सूरज सिंह परिहार सोशल मिडिया में भी एक्टिव रहते हैं जहां उनके एक लाख से ज्यादा फालोवर हैं। वह काफी तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक माने जाते हैं जब उन्हे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कमान मिली थी उन्होंने पहले दिन से ही अवैध कार्यों पर अंकुश लगाना शुरू किया था और अवैध कारोबार मामले में तीन मामले पहले ही दिन जिले में दर्ज हुए थे। कोरिया जिले में भी अवैध कारोबार होता आया है। अब नए पुलिस अधीक्षक से लोगों को उम्मीद है की वह जिले में कानून व्यवस्था को लेकर अपना तेज तर्रार रुख अपनाएंगे और जिले में इसपर पूरी तरह रोक लगाएंगे। बता दें की 30 वर्ष की उम्र में ही सूरज सिंह परिहार आईपीएस के लिए चयनित हुए थे।

चंद्रमोहन सिंह पूर्व में संयुक्त कोरिया में निभा चुके हैं 12 थानों के कप्तान की जिम्मेदारी,अब निभाएंगे विभाजित कोरिया के 8 पुलिस थानों की जिम्मेदारी

चंद्रमोहन सिंह पूर्व में संयुक्त कोरिया जिले के पुलिस कप्तान रह चुके हैं। उस समय जिले में 12 पुलिस थाने हुआ करते थे,अब उन्हे विभाजित कोरिया जिले का वह हिस्सा तबादले पश्चात मिला है जो नवीन जिले के रूप में 8 पुलिस थानों के साथ एमसीबी जिला बना है। अब देखना यह है की वह 8 थाना क्षेत्रों के नए जिले में कितनी सफलता अपने खाते में दर्ज करते हैं। एमसीबी जिले में भी अवैध कारोबार उनके लिए बड़ी चुनौती है। कोयला कबाड़ जैसा अवैध कारोबार वहां अनवरत जारी रहने वाला कारोबार है। अब देखना यह है की वह 8 थानों के जिले में अवैध कारोबार रोककर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर कर पाते हैं अवैध कारोबारियों में भय उत्पन्न कर पाते हैं या नहीं। वहीं कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक के पास अब कुल 4 पुलिस थाने होंगे और देखना यह है की वह किस तरह की पुलिसिंग साबित करते हैं जिससे जिले के अवैध कारोबारी भयभीत रहें और जिले में कानून व्यवस्था कायम रह सके।

बिल्डर पर हुई थी कार्यवाही पर राजस्व अधिकारी बच निकले थे...

चंद्रमोहन सिंह जब कोरिया जिले के पुलिस कप्तान थे तब उन्होंने कोरिया जिले में जारी जमीन फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्यवाही की थी,एक बड़े बिल्डर को उन्होंने जेल तक भेजा था कई जमीन उसकी जो अवैध रूप से उसके द्वारा हथियाई गई थी उसे उन्होंने भू स्वामियों को वापस दिलाया था लेकिन उसी मामले में कई राजस्व अधिकारियों का भी नाम समाने आया था जिनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी और वह बच निकले थे। राजस्व अधिकारियों पर कार्यवाही न होना पूरी कार्यवाही को सवालिया बनाता है क्योंकि जमीन फर्जीवाड़ा अकेले बिल्डर के भरोसे संभव नहीं हुआ होगा उसमे राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों की संलिप्तता निश्चित रही होगी।

चंद्रमोहन सिंह का रूप बदला हुआ होगा या फिर पहले की तरह ही होगा कार्यकाल?

चंद्रमोहन सिंह पुनःसरगुजा संभाग के नवीन जिले एमसीबी में पुलिस अधीक्षक बनकर पहुंचे हैं। पहले वह संयुक्त कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं जिसके अंतर्गत ही पहले एमसीबी का क्षेत्र आता था। उनके पूर्व के कार्यकाल में अवैध कारोबार रुक नहीं सका था यह देखा गया था। अब चूंकि उन्हे पुनः मौका मिला है देखना है की उनका रूप पहले वाला ही रहता है या वह अवैध कारोबार रोकने पूरी ताकत लगाएंगे। वैसे एमसीबी जिले में अवैध कारोबार रोकना उनके लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि एमसीबी जिले में अवैध कारोबारी जड़ जमा चुके हैं।

क्या मंत्री के पसंद से एमसीबी के एसपी बनाए गए हैं चंद्रमोहन सिंह?

एमसीबी पुलिस कप्तान बनाए गए पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह कोरिया जिले संयुक्त कोरिया जिले में पदस्थ रह चुके हैं। उनका जिले खासकर संयुक्त कोरिया जिले के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं जनप्रतिनिधियों से संपर्क पहले से ही कायम रहा है। एमसीबी जिला पहले कोरिया जिले का ही अंग था जहां यह पुलिस अधीक्षक थे। मनेंद्रगढ़ विधायक साथ ही मंत्री से उनके विपक्ष में रहने के दौरान उनका परिचय रहा होगा इससे इंकार नहीं किया जा सकता वहीं यही उनको नवीन जिले की कमान मिलने का कारण है यह माना जा सकता है। वैसे स्वास्थ्य मंत्री के विशेष सलाहकार भी चंद्रमोहन सिंह को एमसीबी जिला दिलाने में मददगार साबित हुए होगें यह भी माना जा सकता है। मंत्री जी के विशेष सलाहकार वही हैं जिनका नाम चंद्रमोहन सिंह के कोरिया जिले के कार्यकाल के दौरान जमीन के फर्जीवाड़ा मामले से जुड़ा था जिसमे वह हस्ताक्षर को फर्जी बताकर बच सके थे और उन्हे मामले में निर्दोष माना गया था।

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोरिया का गठन संगठन

-संवाददाता-
कोरिया,05 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोरिया के बैनर तले जिला संगठन का निर्माण किया गया है जिसमें सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष मीर आलम खान एवं कौशलेंद्र गुप्ता,सचिव प्रमिल सिंह,सह सचिव आशु जायसवाल, कोषाध्यक्ष नीरज शिवहरे, सहकोषाध्यक्ष प्रदीप साहू, मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता सुरेश साहू एवं संगठन संरक्षक के रूप में अजय सिंह भदौरिया,डॉक्टर विजय जांगड़े का चयन किया गया,उसके पश्चात माननीय विधायक बैकुंठपुर भैयालाल राजवाड़े एवं नगर पालिका अध्यक्ष महोदया नविता शिवहरे से भेंट वार्ता कर उनसे हमारे संगठन का पदेन संरक्षक बनने का आग्रह किया गया जिसमें उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की और संगठन के संरक्षक के तौर पर जो भी सहयोग होगा वह प्रदान करने की अनुमति प्रदान किया गया, तत्पश्चात हमारे शिक्षा विभाग के जिला के मुखिया जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जितेंद्र गुप्ता जी से भेंट वार्ता कर उन्हें संगठन के आगामी क्रिया कलापों से अवगत कराया गया एवं संगठन के माध्यम से बच्चों की शिक्षा एवं अभिभावकों को होने वाली परेशानियां को कैसे हम संगठन के माध्यम से दुरुस्त कर सकते हैं के बारे में जानकारी प्रदान की गई जिसमें उन्होंने हमें अपना मार्गदर्शन देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग से जो भी आपको शिक्षा एवं खेल से जो भी मदद चाहिए वह प्रदान की जाएगी,संगठन की आगे की कार्रवाई के रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेंगे जैसे की विद्यालयों में बच्चों की सुविधा को कैसे बढ़ाई जाए उनके शिक्षा का स्तर को कैसा रूप दिया जाए जिससे वह आने वाले समय में सिर्फ डॉक्टर,इंजीनियर बनने की ना सोचकर,सिविल सर्विसेज के माध्यम से आईएएस, आईपीएस जैसे बड़ी परीक्षाओं को निकाल कर हमारे जिले का नाम रोशन कर करें। विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा सभी विद्यालयों को जोड़कर उनके मध्य विद्यालयीन खेलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके व्यक्तित्व विकास को शिखर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा हमारा मानना है कि हमारा संगठन सिर्फ नाम मात्र का संगठन, ना बनाकर शिक्षा,खेल एवं सांस्कृतिक इत्यादि को बढ़ावा देने में लगातार कार्य किया जाता रहेगा एवं राज्य इकाई को जिले के माध्यम से किसी भी कियाँ कलापों के लिए एक ताकत के रूप में अपना सहयोग प्रदान करता रहेगा।

गोंगपा ने पूर्व में सौंपे गए ज्ञापन पर कार्यवाही नही होने पर पुनः सौंपा ज्ञापन

कलेक्टर ने जल्द कार्यवाही का दिया आश्वासन

-संवाददाता-
मनेन्द्रगढ़,05 फरवरी 2024
(घटती-घटना)।

गोगपा जिला अध्यक्ष केवल सिंह मरकाम ने एमसीबी जिला कलेक्टर से मुलाकात कर बीते विगत 4 अक्टूबर 2023 को पांच बिन्दु पर सौपे गए ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर आज पुनः ज्ञापन सौप कर शीघ्र कार्यवाही कि मांग कि है, आपको बता दे कि कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में पांच बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। जिसमे मुख्य रूप से चैनपुर स्थित शासकीय भूमि पर नियम विरुद्ध अवैध कब्जे को तत्काल हटाने के संबंध में हमारे पार्टी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर एम.सी.बी. को ज्ञापन सौंपा गया था जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उक्त शासकीय भूमि जो कि ग्राम चैनपुर तह. मनेन्द्रगढ़ में है जिसकी कीमत लगभग करोड़ों रूपए है। जिस पर

एम.सी.बी. प्रेस क्लब अध्यक्ष रंजीत सिंह के द्वारा खसरा क्र. 83/1 रकवा 3.5780 हेक्टेयर व दूसरा पत्रकार धीरेद्र विश्वकर्मा खसरा नं. 83/1 रकवा 3.5780 है,इनके अलावा उनका साथी मोहम्मद अकील खसरा नं. 83/1 रकवा 3.5780 है. उस पर इन्होंने अवैध कब्जा किया है जो आज दिनांक तक नहीं हटाया गया है।आगे उल्लेख किया कि नेशनल हाईवे 43 पर महाराजपुर टोल नाका पर कोरिया और एम.सी.बी. जिले के नंबर प्लेट सीजी 16 की गाड़ियों को मुक्त किया जाए।साथ ही यह भी उल्लेख किया कि मनेन्द्रगढ़ शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान जो कि नेशनल हाईवे पर स्थित है। तत्काल हटाया जाए।ज्ञापन में चौथे बिंदु पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनेन्द्रगढ़ में स्त्री रोग विशेषज्ञ की अत्यंत आवश्यकता है । ज्ञापन में पांचवे बिंदु कर भरतपुर सोनहत विधानसभा के पूर्व विधायक गुलाब कमरो के गृह ग्राम साल्ही में नियम विरुद्ध अवैध तरीके से वन भूमि और शासकीय भूमि पर उनके कुछ खास लोगों द्वारा गोपनीय आवेदन किया गया है। जिसका मामला एस.डी.एम. कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में चल रहा है। इसके साथ ही जानकारी प्राप्त हुयी है कि चैनपुर देशी शराब भट्टी के पास स्थित स्वास्थ्य विभाग कालोनी के अगल-बगल खसरा क्र. 254/1 254/3 254/5 पर भी कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने की जानकारी प्राप्त हुयी है जिसे तत्काल कब्जा मुक्त करायाजाए। जिस पर जिला कलेक्टर ने कहा आपके द्वारा दिए गए शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा हटाने संबंधित बिंदुओं पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जायेगी।

चंगाई सभा का आयोजन कर रहे लोगों पर लगा धर्मांतरण का आरोप,अपराध दर्ज करने की मांग

- संवाददाता -
प्रतापपुर,05 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

रविवार को चंदौरा थाना अंतर्गत ग्राम दवनकरा के दर्रीपारा में चंगाई सभा का आयोजन कर रहे कुछ लोगों के ऊपर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। इस संबंध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने चंदौरा थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार आसपास के हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि दवनकरा के दर्रीपारा में रहने वाले रामप्रसाद देवांगन के घर में सिंघरा, जरही, परसवार व केवरा के कुछ लोगों द्वारा चंगाई सभा का आयोजन कर ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सभा स्थल पर पहुंचे तो वहां देखा कि कुछ लोग ग्रामीणों को एक धर्म विशेष से संबंधित जानकारी दे रहे थे। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने सभा को बीच में ही बंद कराते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस चंगाई सभा का आयोजन करने वाले करीब छह सात लोगों को पकड़कर चंदौरा थाने ले गई। इधर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचकर पुलिस द्वारा पकड़े गए लोगों के ऊपर जल्द से जल्द धर्मांतरण कराने का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। मामले की जानकारी मिलते ही सूरजपुर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल भी चंदौरा थाने पहुंचे और मामले में अपराध दर्ज करने की मांग कर रहे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन देते हुए कहा कि पहले पुलिस गांव में जाकर ग्रामीणों से पूछताछ करेगी, यदि पूछताछ में धर्मांतरण कराने की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अग्रवाल द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने से वापस लौट गए हैं। अब मामला धर्म परिवर्तन कराने का है या कुछ और यह तो अब पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकेगा। मामले की जांच करने के लिए पुलिस सोमवार की सुबह दवनकरा के दर्रीपारा में पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ करेगी।

सहकारी समिति के डेरी में घुसे चोर ने काउंटर से उड़ाए एक लाख रुपये

- संवाददाता -
अंबिकापुर,05 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

शहर के स्टेडियम के पास स्थित दूध सागर सहकारी समिति में घुसे चोर ने एक लाख रुपये नकद पार कर दिया। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई है, जिस पर पुलिस जांच, कार्रवाई में लगी है।जानकारी के मुताबिक स्टेडियम के पास दूध सागर सहकारी समिति संचालित है। रसुलपुर निवासी मो. शाहिद ने बताया कि रविवार की रात को साढ़े नौ बजे डेयरी बंद करके वे घर चले गए थे। सोमवार को सुबह जब दुकान खोले, तो बाहर पूर्ववत ताला बंद था। सीसीटीवी के डीबीआर से लगे तार केकनेक्शन कटे थे। अंदर काउंटर में रखा एक लाख रुपये गायब था। सीसीटीवी कैमरे के रिकार्डिंग को जब उन्होंने चेक किया तो चोरी की वारदात में दुकान के कर्मचारी की करतूत सामने आई। आरोपित कर्मचारी दुकान के पीछे स्टेडियम की ओर से खिडक़ी का रॉड आरी ब्लेड से काटकर अंदर घुसा था। पहले से दुकान के अंदर कमरे का दरवाजा खुला रहने के कारण उसे चोरी के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ी और वह दुकान के काउंटर में रखे नकदी को चोरी कर लिया।

सीसीटीवी में आरोपित की करतूत कैद,दुकान के कर्मचारी पर संदेह

विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य हैं,ये आगे चलकर देते हैं अपना महत्वपूर्ण योगदान : जिला शिक्षा अधिकारी

- संवाददाता -
अंबिकापुर,05 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य हैं वह विद्यालय में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना दायित्व निभाकर देश के नवनिर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

उक्त बातें सनराइज एंड यूनिक कान्वेंट स्कूल के 31 वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे ने कही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व डीइओ आईपी गुप्ता तथा छगमा शि.मंडल के सदस्य संजय राउत उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय के निर्देशक एफडी खान ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। जो दर्शकों कों झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के निर्देशक एफडी खान ने अतिथियों को साल श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आभार प्रदर्शन यूनिक कान्वेंट के प्रचार्य अजहरुद्दीन खान ने किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक सोहन सर ने किया। कार्यक्रम में मख्य रूप में सरस्वती शिशु मंदिर की प्राचार्य मीरा साहू, कौशल शर्मा. सीपी सिंह, वार्ड पार्षद सतीश बारी, नुजहत फातिमा, अशफ़ाक़ अली सहित अभिभावक उपस्थित थे।

स्कूल बस में बैठाने आए पोते को दादा के सामने ट्रक ने कुचला,मौत

- संवाददाता -
अंबिकापुर,05 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

एनएच अंबिकापुर-रामानुजगंज के अलखडीहा चौक पर सोमवार की सुबह दादा अपने पांच वर्षीय मासूम पोते को स्कूल बस में बैठाने जा रहा था। तभी बेकाबू ट्रक ने मासूम को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह हुए इस घटना से नाराज लोगों ने लगभग दो घण्टे तक सडक़ जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की समझाईश और वाहनों की गति धीमी करने घटनास्थल के पास स्टापर लगवाए जाने के बाद लोग शांत हुए।

ग्राम अलखडीहा निवासी सुधीर एक्का का पुत्र आदित्य उम्र 5 वर्ष यूकेजी का छात्र था। झींगों के अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई करता था। वह प्रतिदिन बस से स्कूल आना-जाना करता था। सोमवार को आदित्य को स्कूल जाने की इच्छा नहीं थी। उसके दादा चंद्रबली एक्का उसे स्कूल बस में बैठाने के लिए लाए थे। सडक़ के दूसरी ओर जाकर दोनों खड़े थे। स्कूल बस आई तो उसके दादा उसे बस में बैठाने की तैयारी कर रहे थे तभी वह मौका पाकर घर की ओर भागने का प्रयास कर रहा था और सडक़ को पार कर रहा था तभी बलरामपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दादा के सामने हुए इस हादसे से वे बेसुध हो गए। ट्रक चालक तेजी से भाग गया। इधर घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने मार्ग पर आवागमन बाधित कर दिया।अंबिकापुर-रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लग गया। घटनास्थल के दोनों ओर बसों, ट्रक के साथ अन्य वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर एसडीएम राजीव जेम्स कुजूर तथा थाना प्रभारी राजेश खलखो घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की। एसडीएम ने ग्रामीणों की मांग को देखते हुए तत्काल कर स्टाफ पर मंगवाकर घटनास्थल के आसपास लगवाया ताकि वाहनों की गति कम हो सके, इसके साथ ही उन्होंने नियमों के तहत कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और मार्ग पर आवागमन बहाल हो सका।

» घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

हुई निराशा...नहीं पहुंचे मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के आदिवासी विधायक

सैकड़ों की संख्या में साल्ही मोड़ पर स्वागत करने पहुंचे थे स्थानीय आदिवासी

- संवाददाता -
अंबिकापुर,05 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

राजस्थान और मध्यप्रदेश से सरगुजा के दौरे में आए चार आदिवासी विधायक दल के नेताओं का स्वागत करने सैकड़ों की संख्या में परसा ईस्ट कांता बासेन (पीईकेबी) कोयला खदान के प्रभावित ग्रामों के आदिवासी साल्ही मोड़ पर सोमवार को इकठ्ठा हुए। हसदेव के मुद्दे का जायजा लेने सैलाना,मध्य प्रदेश के विधायक कमलेश्वर डोडियार, राजस्थान राज्य के धरियावाद के विधायक थावर चंद डामोर, आसपुर के विधायक उमेश डामोर और चौरासी के विधायक राजकुमार रोत के 5 फरवरी 2024 को सरगुजा पहुँचने की खबर इन ग्रामीणों को मिली थी। इस खबर से उत्साहित पीईकेबी खदान के आसपास के ग्राम परसा, साल्ही, घाटबर्रा, फतेपुर, हरिहरपुर, जनार्दनपुर इत्यादि सहित कुल 14 ग्रामों के 500 से अधिक आदिवासी ग्रामीणों का समूह साल्ही मोड़ अपने आदिवासी भाइयों के स्वागत करने का इंतजार करते रहे। लेकिन इन्हें तब निराशा हुई जब इनमें से कोई भी नेता अपने तय समय पर शाम तक वहां पहुँचा ही नहीं। जबकि रविवार को महिला सहकारी संस्था मब्स की महिलाओं ने खुला पत्र लिखकर विधायकों को अपने सफल उद्यमों की अवलोकन और मुलाकात के लिए आमंत्रित भी किया था।

दरअसल ग्रामीणों का यह समूह दूर प्रदेश से आ रहे विधायक दल से शिष्टाचार पूर्वक मुलाकात कर महीनों से बंद पड़ी खदान को शुरू कराने में सहयोग का अनुरोध करने वाले था। इन लोगों का कहना है कि, कुछ लोग चाहते है कि हम आदिवासी अब भी चार, महुआ, तेंदू बिनकर एवं शराब बेचकर अपना जीवन यापन करते रहे एवं विकास की मुख्य धारा से दूर रहें। जबकि हम आदिवासियों की यह मन्शा है कि हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर इंजीनियर और डाक्टर बने तथा अपने व अपने परिवार की उन्नति कर सके। इस दौरान गांव में आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित महिला सहकारी समिति की सदस्यों ने उनके द्वारा तैयार किये जा रहे विभिन्न उत्पादों का अवलोकन करने के लिए आमंत्रन पत्र भी विधायकों को भेजा था।

इसके साथ ही उन्होंने एक ज्ञापन भी तैयार किया है जिसमें ग्राम परसा,साल्ही, घाटबर्स, फतेपुर एवं समस्त प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रेषित ज्ञापन में लिखा है,कि ÷सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखण्ड के एकमात्र कोयला परियोजना परसा ईस्ट केते बासेन विगत 12 वर्षो से संचालित है किन्तु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण छः माह पूर्व खदान का संचालन बंद हो गया था जिससे हम लोगों के रोजी-रोटी पर संकट आ गया था। इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हम लोगों के जीविका का एकमात्र साधन यह कोल परियोजना है। इसके अलावा कुछ भी साधन नही है। क्षेत्र के हजारों लोगों की रोजी रोटी यहां की नौकरी और अन्य रोजगार से चलती है। साथ ही यहां के आदिवासी बच्चों को निःशुल्क सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कक्षा-12 तक पढाई करवाने के साथ-साथ स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सडक सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा यहां की दर्जनों स्वसहायता समूह के सैकड़ों महिलाएं, महिला उद्यमी स्वसहायता समूह के माध्यम से जीविकोपार्जन का कार्य कर रहे है। जिससे हम लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है।

मैनपाट से अंबिकापुर आने पैदल निकले बच्चों से मिलने खुद ही नावानगर पहुंच गए कलेक्टर

- संवाददाता -
अंबिकापुर,05 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

एकलव्य बालक विद्यालय मैनपाठ के करीब 400 बच्चे शिकायत लेकर पैदल ही कलेक्टर से मिलने अंबिकापुर आ रहे थे। बच्चों का आरोप था कि प्रभारी उप प्राचार्य अक्सर बच्चों को गाली देते हुए बात करते हैं। विरोध करने पर मारपीट करने लगते हैं। साथ ही छात्रावास से निकाल देने की धमकी भी देते हैं। कुछ दिनों पूर्व शिकायत करने पर अधिकारियों द्वारा प्रभारी उप प्राचार्य को हटाया गया था, मगर रविवार की रात वे फिर छात्रावास में पहुंच गए और बच्चों से कहा कि वापस आ रहा हूं फिर गाली गलौज करने लगे। इससे नाराज एकलव्य के 400 बच्चे पैदल ही कलेक्टर से मिलने मैनपाठ से अंबिकापुर के लिए निकल गए थे। इधर मार्ग में बच्चों को रोकने अधिकारियों द्वारा कोशिश की जाती रही थी। मगर बच्चे किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैनपाट स्थित एकलव्य बालक विद्यालय करीब 400 बच्चे कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल ही सोमवार को कुच कर दिया। मैनपाट से अंबिकापुर की दूरी करीब 60 किमी है। जैसे ही इसकी जानकारी कलेक्टर विलास भोस्कर संदीपन को लगी तो वह बच्चों से मिलने अधिकारियों के साथ निकल पड़े। इनकी बच्चों से मुलाकात अंबिकापुर व मैनपाट के बीच स्थित नावानगर में हुई। बच्चों ने कलेक्टर से विद्यालय के प्रभारी उप प्राचार्य के खिलाफ अभद्रता और अमर्यादित व्यवहार किए जाने की शिकायत की। प्रभारी उप प्राचार्य के अभद्रता से परेशान एकलव्य बालक विद्यालय के बच्चे पैदल ही कलेक्टर से मिलने अंबिकापुर के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में इन्हें रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा पूरी कोशिश की कई पर बच्चे किसी की नहीं सुनी। अंत में कलेक्टर स्वयं अधिकारियों से मिलने अंबिकापुर से अधिकारियों के साथ निकल पड़े। बच्चों से कलेक्टर की मुलाकाता नावानगर में हुई। कलेक्टर ने उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और तत्काल जरूरी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। एकलव्य विद्यालय की मॉनिटरिंग के लिए नायब तहसीलदार को नोडल बनाने के निर्देश दिए। बच्चों द्वारा प्रभारी प्राचार्य के व्यवहार की शिकायत पर पुलिस को प्रकरण दर्ज कर नियमनुसार जांच एवं कार्रवाई के निर्देश। बच्चों की किताबों, गणवेश, कंप्यूटर और शिक्षकों की मांग पर व्यवस्था के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

विकसित भारत के लिए विवि में नए विभाग व कोर्स खोलने की आवश्यकता : कुलपति

- संवाददाता -
अंबिकापुर,05 फरवरी 2024 (घटती-घटना)।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय एवं राजीव गॉधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का समापन सोमवार को हुआ। इसमें मुख्य अतिथि राजीव मिश्रा, पूर्व आईएफएस तथा मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. रत्नाकर त्रिपाठी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अशोक सिंह ने की। कुलपति ने कहा कि हमे विश्वविद्यालय में विभिन्न नए विभाग,रिसर्च सेन्टर, नए-नए पाठ्यक्रम खोलने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए। उन्होने कहा की विश्वविद्यालय को 12 बी के लिए प्रयास कर उसके सभी मापदण्डों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। आगामी नैक प्रत्यायन की तैयारी जोर-शोर से करने के निर्देश दिए। उन्होने एक्यूएआर के डाटा को दो हफ्तों में अपलोड करने के निर्देश समिति के सदस्यों को दिए। उन्होंने कहा की विकसित भारत बनाने के लिए सबसे पहले अपने आपकों विकसित करना आवश्यक है। इसलिए इसकी शुरूवात विश्वविद्यालय के नए विभाग तथा कार्स खोलने के साथ किया जाना आवश्यक है। वक्ता के रूप में प्रो. व्हीके सिंह, इंद्रा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अम्बिकापुर के प्राध्यापक तथा कार्यपरिषद के सदस्य ने एमरजिंग इसुश और सस्टेनेबल डेवलप्मेन्ट के उपर विस्तार से चर्चा की। डॉ. अनिल कुमार सिन्हा, प्राध्यापक, पीजी कॉलेज ने विकसीत भारत विजन इंडिया 2047 के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अगले 25 साल में किन-किन परियोजनाओं पर देश को विकसित बनाने में कार्य करना है इस पर अपना पावरपाइंट प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. रत्नाकर त्रिपाठी ने बोलियों एवं भाषाओं के द्वन्द के बारे में अपने विचार रखे। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यक्रम के समन्वयक आनंद कुमार की महती भूमिका रही। अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह तथा शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में कुलसचिव बिनोद कुमार एक्का द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम में संभाग के सभी महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के सभी प्राध्यापकगण उपस्थित रहे।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0)

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राम प्रसाद आ0 स्व. धनोहर निवासी परसा थाना अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर ने कराया है कि आवेदक के (दादी) स्व. तिजो बाई पति स्व. अधनु मृत्यु की दिनांक 05/6/1980 को स्थान परसा (निवास) में हुई है। आवेदक के मृत्यु उपरांत मृत्यु का पंजीयन नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।
उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायवेगा।
आज दिनांक 31/01/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0)

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राम प्रसाद आ0 स्व. धनोहर निवासी परसा थाना अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर ने कराया है कि आवेदक के (माता) स्व. बुद्ध कुंवर पति स्व. धनोहर मृत्यु की दिनांक 03/08/1998 को स्थान निवास में हुई है। आवेदक के मृत्यु उपरांत मृत्यु का पंजीयन नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।
उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायवेगा।
आज दिनांक 31/01/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.../ब-121/2023-24

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आकाश कुमार चोपड़ा आ0 रविन्द्र कुमार चोपड़ा निवासी चोपड़ापारा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा मुख्तारग्रहिता सुगन गुप्ता पत्नी रामकुमार गुप्ता निवासी सलका तहसील भटगांव जिला सूरजपुर छ0ग0 के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित खसरा नंबर 543/5 रकबा 0.171 हे0 भूमि में से रकबा 0.007 हे0 भूमि को अनावेदक मनोज कुमार गुप्ता आ0 स्व0 रामकुमार गुप्ता निवासी रिंग रोड गंगापुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 21/02/2024 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 17/01/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर,सरगुजा

राज्यपाल हरिचंदन ने छत्तीसगढ की 6 वीं विधानसभा के दूसरे सत्र को संबोधित किया

राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा...नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हमारी सरकार...प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीदी का भी बना कीर्तिमान

विधानसभा का बजट सत्र

रायपुर,05 फरवरी 2024 (ए)। रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2024 में आयोजित पहले सत्र को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने संबोधित करते हुए अभिभाषण पढ़ा. छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सरकार के कार्यों को गिनाते हुए तारीफ की. इस दौरान राज्यपाल हरिचंदन का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत और संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वागत किया सदस्यगण, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2024 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

अभिभाषण का मूल पाठ इस प्रकार है...

➡ छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा का गठन दिसम्बर 2023 में हुआ था। 20 दिसम्बर 2023 को नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के अपने अभिभाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्व. अटल बिहारी वाजपेयी तथा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर प्रारंभ करने के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे खुशी है कि अल्प अवधि में मेरी सरकार ने जनता से किए गए वादे पूर्ण करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है।

➡ मेरी सरकार ने ''समृद्ध किसान-संपन्न प्रदेश'' की अवधारणा पर तेजी से अमल साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है।

➡ किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी निभाया गया और धान खरीदी की पारदर्शी और सुगम व्यवस्था भी की गई, जिससे इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित हुआ है।

➡ ''प्रधानमंत्री आवास योजना'' के लाभ से वंचित लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया। इससे ग्रामीण अंचलों में आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा। वहीं मेरी सरकार घर-घर निर्मल जल पहुंचाने के लिए श्जल जीवन मिशनश् के कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने हेतु अग्रसर हुई है। यह मेरी सरकार की न्यायप्रियता और संवेदनशील नजरिए की एक बड़ी मिसाल है।

➡ मेरी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। ''वन नेशन वन राशन कार्ड'' योजना, ''ई-पॉस मशीन'' के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार ने ''प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना'' के अंतर्गत दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67 लाख 94 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा।

➡ महिलाओं का जीवन आसान बनाने में ''प्रधानमंत्री उज्वला योजना'' की बड़ी भूमिका रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। यह सुविधा भी शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाई जाएगी।

➡ मेरी सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की कठिन सेवा, लगन, कर्त्तव्यनिष्ठा का सम्मान करते हुए मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक को एक दिवस का साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिवस का अवकाश दिया जाएगा। अवकाश की पात्रता, प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

➡ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मेरी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को शासकीय सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा की छूट अवधि पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। मेरा विश्वास है कि इन कदमों से विद्यार्थियों और युवाओं का विश्वास लौटेगा और वे नए सिरे से हर क्षेत्र में प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होंगे।

➡ मेरी सरकार महिलाओं और शिशुओं की समुचित देख-रेख, सुरक्षा और स्वस्थ विकास के प्रति सजग है। कुपोषण की रोकथाम के लिए ''मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना'', ''वजन त्यौहार'', ''पूरक पोषण आहार योजना'', ''रेडी-टू-ईट पोषण आहार'' जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से सफलता के अनेक सोपान तय किए गए थे। इन्हें अब आगे बढ़ाने तथा इनमें नए आयाम जोड़ने के लिए मेरी सरकार तत्पर है। ''सखी-वन-स्टाप सेंटर'', ''महिला हेल्प लाइन'', ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना'', ''छत्तीसगढ़ महिला कोष'', ''मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना'' जैसी सुविधाओं का विस्तार बेहतर रूप में किया जाएगा। मेरी सरकार मातृ शक्ति को सम्मान और अधिकार प्रदान करने के लिए समुचित योजनाएं संचालित करेगी।

➡ मेरी सरकार प्रदेश में अच्छी सड़कों, सिंचाई से लेकर पेयजल तक पर्याप्त पानी, निरंतर और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा टेक्नॉलॉजी से बेहतर तथा पारदर्शी जन-सेवाएं, आईटी तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जैसी व्यापक अधोसंरचना का विकास करेगी।

➡ प्रदेश के विभिन्न संसाधनों के युक्तियुक्त उपयोग से उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी लाई जाएगी। मेरी सरकार एक ओर जहां प्रदेश के राजस्व में समुचित वृद्धि के लिए संकल्पित है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्य के विकास का लक्ष्य प्रदेश के जन-जन का सशक्तीकरण होगा।

➡ प्रदेश को सिकलसेल एनीमिया मुक्त बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्त सिकलसेल मरीजों को निःशुल्क दवाइयां तथा परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है।

संक्षिप्त खबरें

कई जिलों के बदल गए पुलिस कप्तान,46 आईपीएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर

रायपुर,05 फरवरी 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ में पदस्थ आईपीएस अफसरों की नई पदस्थापना सूची जारी की गई है। जारी नवीन आदेश में 46 आईपीएस अफसरों को नई पोस्टिंग दी गई है। इस आदेश के बाद कई जिलों के पुलिस कप्तान भी बदल गए हैं।

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक डॉ. आनंद छाबड़ा, अजय कुमार यादव, बद्री नारायण मीणा को पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में पदस्थ किया गया है। दीपांशु काबरा की सेवाएं परिवहन विभाग से वापस लेकर उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक जशपुर डी. रविशंकर को अब अतिरिक्त परिवहन आयुक्त बनाया गया है। लूपलाइन में चल रहे शशिमोहन सिंह,रजनेश सिंह को एसपी की जिम्मेदारी दी गई है।

संयुक्त टीम ने नक्सली कमांडर और उप कमांडर को पकड़ा

कांकेर,05 फरवरी 2024(ए)। नक्सलियों के विरूद्ध चलाये जा रहे नक्सल उन्मुलन अभियान के तहत् डीआरजी की टीम नक्सल गस्त सर्चिंग के दौरान ग्राम मुंजालगोदी से 02 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक कांकेर के निर्देशन में पुलिस एव बीएसएफ बलों द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध चलाये जा रहे नक्सल उन्मुलन अभियान के तहत् महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ है। बारिकी से पूछताछ करने पर (01) सी.पी.आई. माओवादी संगठन अंतर्गत उत्तर बस्तर डिवीजन/नुआपाड़ा प्रोटेक्शन/समन्वय टीम कमांडर (पीपीसीएम) विनोद अवलम उर्फ उंगा पिता कोवाराम उम्र 21 वर्ष ग्राम मारगुण्डेम, पीडिया, थाना गंगालूर, जिला-बीजापुर (02) उत्तर बस्तर डिवीजन/नुआपाड़ा प्रोटेक्शन/समन्वय टीम उप कमांडर (पीपीसीएम) आसु कोरसा आसु कोरसा पिता बुधराम कोरसा उम्र 23 वर्ष साकिन गायतापारा पदेड़ा थाना गंगालूर जिला बीजापुर का होना बताये।

आत्मानंद स्कूल में हुए भ्रष्टाचार की जांच हो : ननकीराम कंवर

कंवर ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

बजट सत्र शुरू होते ही सदन के बाहर भी पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार की जांच की मांग उठने लगी है। बीजेपी नेता ननकीराम कंवर ने कांग्रेस शासन काल में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूल के रिनोवेशन व सामग्री सप्लाई में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। सामग्री निम्न स्तर का सप्लाई किया गया है।पूर्व मंत्री कंवर ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर पूर्ववर्ती सरकार के आत्मानंद स्कूल के नाम पर हुए सारे भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। जिसके कारण आत्मानंद स्कूलों की स्थिति में बहुत खराब हो चुकी है । स्तरहीन सामग्री सप्लाई की जांच राज्य स्तर पर समिति बनाकर पूरे प्रदेश में जांच करें।जिला खनिज न्यास मद की राशि में आत्मानंद स्कूल के रिनोवेशन व सामग्री सप्लाई में हुये भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी ठेकेदार व संबंधित ऐंजेनसी के अधिकारी कर्मचारी के विरुध्द अपराधिक मामला दर्ज कर राशि वसूली की कार्यवाही करने की मांग की गई है। इसकी जानकारी अनिल चौरसिया के द्वारा दी गई है।

विधानसभा में नेताओं का मजाकिया अंदाज

पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले-बृजमोहन को मिला बच्चा खिलाने का काम,जवाब में मंत्री ने कहा- चिंता मत करिए आपको भी खेलाऊंगा

छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा में नेताओं के बीच हंसी-मजाक होता नजर आया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से चुटकी लेते हुए कहा,बृजमोहन अग्रवाल सबसे वरिष्ठ नेता हैं. उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया है, बच्चा खिलाने का काम दे दिया गया है । जैसे घर में दादा को बच्चों को सम्भालने की जिम्मेदारी दी जाती है। वैसे ही बृजमोहन अग्रवाल को जिम्मेदारी दी है।वहीं भूपेश बघेल के बयान के बाद मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी चुटकी लेते हुए जवाब में कहा,भूपेश जी चिंता मत करिए, आपको भी खेलाऊंगा। इतना ही नहीं कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा,माघी मेला में डुबकी लगाइए तब पाप धुलेगा। जिस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो दौलत नई-नई है।

कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को दी जाएगी धान खरीदी की अंतर की राशि

अनुपूरक बजट में 12 हजार करोड़ रुपये का किया गया प्रावधान

रायपुर,05 फरवरी 2024 (ए)। सदन में वित्तीय अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेगी। जिसमें किसानों को धान खरीदी में अंतर की राशि दी जाएगी। बता दें कि भाजपा ने चुनाव में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी का वादा किया था। अभी फिलहाल समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। कृषक उन्नति योजना से किसानों को अंतर की राशि दी जाएगी।

क्या है कृषि उन्नति योजना ?

कृषक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ के किसानों को ध्यान में रखते हुए शुरू करने की घोषणा की गई थी। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी किसान से धान की खरीद की जाएगी। किसान से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर किसान से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद की जाएगी। इसके अलावा सरकार द्वारा बोरियो की उपलब्धता भी धान खरीदने से पहले सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को एक किश्त में पूरा भुगतान मिल जाए और उनको लम्बी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़े, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा हर पंचायत भवन में बैंको में नगद आहरण काउंटर स्थापित किए जाएगे।

अनुपूरक बजट के बारे में ओपी चौधरी कथन

छत्तीसगढ़ विधानसभा का द्वितीय सत्र (बजट सत्र) राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ सोमवार को शुरू हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपूरक बजट में राज्य सरकार ने कई प्रविधान किया है। इसमें राज्य सरकार की अयोध्या श्रीराम लला दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं, धान उत्पादक किसानों को अंतर की राशि देने के लिए अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ रुपये रखा गया है। सदन से बाहर आने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरीने कहा कि नौ फरवरी को छत्तीसगढ़ का मूल बजट पेश किया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक बजट होगा। आज तृतीय अनुपुरक बजट पेश किया गया है। इसमें जनता के अपेक्षा के अनुरूप विभिन्न प्रविधान किए गए हैं।

पुलिस विभाग के सूबेदार को 10 साल बाद मिला न्याय

हाईकोर्ट ने निरस्त किया आईजी का आदेश

बिलासपुर,05 फरवरी 2024 (ए)। सालों तक चली लंबी लड़ाई के बाद पुलिस विभाग के सूबेदार को हाईकोर्ट से अब जाकर न्याय मिला है। उच्चाधिकारियों द्वारा रोकी गई पदोन्नति को लेकर दायर याचिका में हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अफसर को प्रमोशन देने का फैसला सुनाया है।यह मामला मुंगेली जिले से जुड़ा हुआ है। संजय कुमार सूर्यवंशी सूबेदार के पद पर पुलिस अधीक्षक मुंगेली के कार्यालय में पदस्थ थे। 25 दिसंबर 2013 को आरक्षक परमेश्वर श्रीवास ने रक्षित केंद्र परिसर में नशे की हालत में स्वयं के बाएं हाथ की कलाई को काट लिया था। घटना के संबंध में आरक्षक द्वारा हाथ काटने का कारण सूबेदार संजय सूर्यवंशी द्वारा बार-बार मालिश के लिए बुलाना, गाली-गलौच करना बताया गया। इसके फलस्वरुप पुलिस अधीक्षक मुंगेली द्वारा 25 अक्टूबर 2017 को संजय कुमार सूर्यवंशी को उसके आगामी एक वेतन वृद्धि 1 वर्ष के लिए असंचायी प्रभाव से रोके जाने की सजा से दंडित किया गया।

'सजा देने का अधिकार नहीं'

छत्तीसगढ़ पुलिस विनियम की धारा 221 के तहत पुलिस अधीक्षक को शक्ति नहीं है कि वह सूबेदार को दंडित कर सके और उनका एक वेतन वृद्धि असंचायी प्रभाव से रोक सके, जिसके विरुद्ध संजय कुमार सूर्यवंशी ने पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज के समक्ष अपील प्रस्तुत किया, किंतु पुलिस महानिदेशक बिलासपुर रेंज द्वारा भी अपने आदेश 29 सितंबर 2017 को एक वेतन वृद्धि 1 वर्ष के लिए संचय प्रभाव से रोके जाने का दंड से दंडित किया गया, जिसके विरुद्ध संजय कुमार सूर्यवंशी द्वारा एक अभ्यावेदन पुलिस महानिदेशक रायपुर में प्रस्तुत किया गया किंतु पुलिस महानिदेशक रायपुर द्वारा 5 दिसंबर 2018 को संजय कुमार सूर्यवंशी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अमान्य कर दिया गया।

पदोन्नति को कर दिया गया निरस्त

इसी बीच पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सूबेदार से रक्षित निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यता सूची का प्रकाशन किया गया जिसमें संजय कुमार सूर्यवंशी का नाम सरल क्रमांक एक पर था, किंतु पुलिस महानिदेशक रायपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2018 को संजय कुमार सूर्यवंशी रक्षित निरीक्षक के पद पर दी गई पदोन्नति को निरस्त कर दिया गया, यह कहते हुए कि पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज द्वारा दिया गया आगामी एक वेतन वृद्धि 1 वर्ष के लिए असंचायी प्रभाव से रोके जाने का दंड वर्तमान में प्रभावशील है, इसलिए संजय कुमार सूर्यवंशी का नाम उक्त योग्यता सूची से पृथक किया गया है।

हाईकोर्ट की लेनी पड़ी शरण

संजय कुमार सूर्यवंशी द्वारा एक वेतन वृद्धि रोके जाने तथा रक्षित निरीक्षक पदोन्नति पद निरस्त हो जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे के यहां हुई। याचिका में यह आधार लिया गया कि पुलिस विभाग द्वारा याचिकाकर्ता के ऊपर दंडाधिरोपित करने की प्रक्रिया, जो छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज वर्गीकरण और अपील नियम 1966 की धारा 14 की उप धारा 3 से 23 तक का पालन नहीं किया गया है। दंड अधिरोपित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है।

महतारी वंदन योजना के नियमों में हुआ बदलाव

- » महिलाओं में दिख रहा है उत्साह
- » मोबाइल नम्बर नहीं होने पर राशन कार्ड की छायाप्रति कर सकते हैं जमा...
- » विवाह पंजीयन नहीं होने पर स्वघोषणा शपथ पत्र जमा किया जा सकता है...
- » पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा...
- » विवाह निवास प्रमाण पत्र के बदले ये दस्तावेज आएंगे काम...

रायपुर,05 फरवरी 2024 (ए)। राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। आज से राज्य के सभी जिलों में ऑनलाईन फॉर्म एवं ऑफलाईन पंजीयन शुरू हो गया है। महिलाओं में योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और फॉर्म भर रहे हैं।

विवाह प्रमाण पत्र न हो तो ये दस्तावेज आएंगे काम

महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के बदले जमा करें ये कार्ड

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

इस वेबसाइट से जमा कर सकते हैं आवेदन

जिला स्तर पर फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि महिलाओं फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाएं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल एच टी टी पी एस // महतारी वंदन. सी जी स्टेट. जी ओ व्ही.आई एन/ तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

मोदी की गारंटी
विष्णु का सुशासन

हमने बनाया है
हम ही संवारेंगे

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

महतारी वंदन योजना

पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष
₹ 12,000

देखिए आवेदन फार्म कैसे भरे ?

- महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना क्रियान्वित है
- यह योजना 01 मार्च 2024 से लागू की जा रही है
- योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा

योजनांनर्गत पात्रता

- विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो
- आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी योजना के लिए पात्र होंगी

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

- स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो
- स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज। (निवास प्रमाण-पत्र/ राशन कार्ड/ मतदाता पहचान-पत्र/ आधार कार्ड)
- स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड
- स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड। (यदि हो तो)
- महिला के विवाहित होने की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज-विवाह प्रमाण पत्र/ राशन कार्ड/ आधार कार्ड/ मतदाता परिचय पत्र/ निवास प्रमाण पत्र/ ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र। यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला द्वारा स्वघोषणा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है
- विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
- परित्यक्ता/ तलाकशुदा होने की स्थिति में समाज द्वारा / वार्ड/ ग्राम पंचायत/ न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र/ कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची/ स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/ पैन कार्ड/ आधार कार्ड/ मतदाता परिचय-पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस । (कोई एक)
- पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति
- स्व-घोषणा शपथ पत्र (आवेदन के साथ संलग्न)
- यदि महिला हितग्रही के पास मोबाईल नंबर न हो तो राशन कार्ड जमा किया जावे

हितग्राही को दी जाने वाली सहायता

- पात्र महिला को रुपये 1000/- प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा
- सामाजिक सहायता कार्यक्रम/विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रू. 1000/- से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा

आवेदन करने का माध्यम

योजना के ऑनलाईन पोर्टल
(https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in)
तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे-

- आंगनबाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से
- ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से
- बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से
- आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे
- नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

संवाद 39557/66

सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)